खण्ड-5, अंक-3
बुधवार, 29 फाल्गुन, शक संवत् 1923
(20 मार्च, 2002 ई०)

उत्तरांचल विधान सभा

की

कार्यवाही

—: 0 :—

(अधिकृत विवरण)

(प्रथम विधान सभा)

(प्रथम सत्र, 2002)

(खण्ड 5 में 5 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तरांचल (भारत)
2004

मूल्य :

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	"क"
प्रश्नोत्तर	1–7
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) उत्तरांचल संशोधन (प्रथम संशोधन) अध्यादेश, 2001 (पुरःस्थापित)	7–8
शिक्षा बन्धु, शिक्षा मित्र व विजिटिंग फैकल्टी के अध्यापकों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	8–9
जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र काशीपुर के गांवों में विद्युत आपूर्ति, विद्युत पोलों के बजाय केबिल तारों के माध्यम से किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	9
जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम मौसाला में आसमानी बिजली गिरने से जानमाल की क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	9
जनपद हरिद्वार में खुर–पका तथा मुंह–पका बीमारी के भयंकर प्रकोप की रोकथाम तथा निदान के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	9–10
जनपद रुद्रप्रयाग में अधिकारियों के पद सृजन एवं विकास कार्य करवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	10–16
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	16–17
कार्य मंत्रणा समिति का कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	17–18
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	18–22
महामहिम राज्यपाल के भाषण पर चर्चा (जारी)	22–35
वित्तीय वर्ष 2001–2002 के अनुपूरक अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान–अनुदान संख्या 06–राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान सं0 07–वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं, अनुदान सं0 10–पुलिस एवं जेल विभाग, अनुदान सं0 11–शिक्षा, खेल, युवा कल्याण एवं संस्कृति विभाग, अनुदान सं0 12–चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, अनुदान सं0 13–जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास विभाग, अनुदान सं0 15–कल्याण योजनायें विभाग, अनुदान सं0 17–कृषि कर्म एवं अनुसंधान विभाग, अनुदान सं0 19–ग्राम्य विकास विभाग, अनुदान सं0 20–सिंचाई एवं बाढ़ विभाग, अनुदान सं0 22–लोक निर्माण कार्य विभाग, अनुदान संख्या 23–उद्योग विभाग, अनुदान सं0 27–वन विभाग, अनुदान सं0 28–पशु पालन सम्बन्धी कार्य विभाग	35–39

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तरांचल विनियोग (2001–2002 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2002 (पुरःस्थापित एवं पारित)	39–42
उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2002 (सर्वसम्मति से पारित)	42–46
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	46–47
नत्थियाँ	48–70

उपस्थिति

1. श्री गालचन्द
2. श्री विजयपाल सिंह सजवाण
3. श्री प्रीतम सिंह पंवार
4. श्री फूल सिंह बिष्ट
5. श्री किशोर उपाध्याय
6. श्री बलबीर सिंह नेगी
7. श्री मंत्री प्रसाद नैथानी
8. श्री सुबोध उनियाल
9. श्री कौलदास
10. श्री प्रीतम सिंह
11. श्री नव प्रभात
12. श्री साधूराम
13. श्री दिनेश अग्रवाल
14. श्री हरबंस कपूर
15. श्री हीरा सिंह बिष्ट
16. श्री जोत सिंह
17. श्री शूरवीर सिंह
18. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत
19. श्री चन्द्रशेखर
20. श्री सुरेश चन्द
21. डॉ० यशवीर सिंह
22. काजी निजामुद्दीन
23. श्री हरिदास
24. श्री कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
25. श्री शहजाद
26. श्री मदन कौशिक
27. श्री तसलीम अहमद
28. श्रीमती विजय बड़थ्वाल
29. श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
30. श्री तेजपाल सिंह रावत
31. श्रीमती अमृता रावत
32. डॉ० हरक सिंह रावत
33. श्री सुरेन्द्र सिंह भण्डारी
34. श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल
35. श्री गणेश प्रसाद गोदियाल
36. श्री मातबर सिंह कण्डारी
37. श्रीमती आशा देवी
38. डॉ० अनुसूया प्रसाद मैखुरी
39. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट
40. श्री अनिल नौटियाल
41. श्री गोविन्द लाल
42. श्री भगत सिंह कोश्यारी
43. श्री उम्मेद सिंह मांजिला
44. श्री राम प्रसाद टम्टा
45. श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी
46. डॉ० प्रताप बिष्ट
47. श्री रणजीत सिंह रावत
48. श्री अजय भट्ट
49. श्री प्रदीप टम्टा
50. श्री कैलाश शर्मा
51. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
52. श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल
53. डॉ० (श्रीमती) इंदिरा हृदयेश
54. श्री नारायण सिंह जंतवाल
55. श्री योगम्बर सिंह रावत
56. डॉ० शैलेन्द्र मोहन सिंघल
57. श्री हरभजन सिंह चीमा
58. श्री अरविन्द पाण्डे
59. श्री प्रेमानन्द महाजन
60. श्री तिलक राज बेहड़
61. श्री नारायण पाल
62. श्री गोपाल सिंह राणा
63. श्री हेमेश खर्कवाल
64. श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मद्दू भाई)
65. श्री प्रकाश पंत
66. श्री नारायण राम आर्य
67. श्री बिशन सिंह चुफाल
68. श्री काशी सिंह ऐरी
69. श्री गगन सिंह रजवार

बुधवार, दिनांक 20 मार्च, 2002 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

प्रश्नोत्तर

गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को बी0 पी0 एल0 कार्ड जारी करने की मांग

*1–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को बी0पी0एल0 राशन कार्ड प्रत्येक जनपद के प्रत्येक ब्लाक में बन चुके हैं?

यदि नहीं तो कितने ऐसे परिवार हैं जिनके बी0पी0एल0 कार्ड अभी तक नहीं बने हैं?

ऐसे परिवारों के बी0पी0एल0 राशन कार्ड कब तक जारी कर दिये जायेंगे?

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री हरक सिंह रावत)–

जी हाँ।

भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशानुसार रु0 9000/– तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को बी0पी0एल0 योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किये जाने का कार्यक्रम है। उक्त दिशा निर्देशों के अनुसार जनपदों में बी0पी0एल0 परिवारों की सूची तैयार की गयी है, परन्तु भारत सरकार के आदेशानुसार राज्य के 3,46,715 बी0पी0एल0 परिवारों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य रखा गया था जिसे बी0पी0एल0 परिवारों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए जनपदवार लक्ष्य वितरित किया गया। जनपदों में निर्मित सूची में से आरोही क्रम में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार परिवारों को चिन्हित/चयनित कर परिवारों को राशन कार्ड भी उपलब्ध करा दिये गये हैं। इस प्रकार पूरे राज्य के लिये भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य 3,46,715 के सापेक्ष समस्त बी0पी0एल0 परिवारों को चयनित कर राशन कार्ड उपलब्ध करा दिये गये हैं तथा लगातार खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है और माह मई, 2002 तक खाद्यान्न का आवंटन भी कर दिया गया है।

भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र सं0 4(27)/2001–पी0डी0–1, दिनांक 21–12–2001 द्वारा उत्तरांचल राज्य में 74,985 और बी0पी0एल0 परिवारों की संख्या बढ़ाई गई है। भारत सरकार का पत्र प्राप्त होते ही बढ़े हुए परिवारों के चिन्हीकरण का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया था लेकिन बीच में ही विधान सभा के निर्वाचन के फलस्वरूप आचार संहिता लागू हो जाने के कारण चिन्हीकरण के कार्य में विलम्ब हो गया। निर्वाचन का कार्य सम्पादित होते ही पुनः चिन्हीकरण का कार्य प्रारम्भ हो गया है और 74,985 बढ़े हुए बी0पी0एल0 परिवारों की संख्या में से 49,659 परिवारों के चिन्हीकरण का कार्य पूर्ण कर बी0पी0एल0 परिवारों को राशन कार्ड भी उपलब्ध करा दिये गये हैं। शेष 25,326 बी0पी0एल0 परिवारों के चिन्हीकरण का कार्य चल रहा है। यथाशीघ्र चिन्हीकरण का कार्य पूर्ण कर बी0पी0एल0 परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध करा दिये जायेंगे।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि मैंने प्रश्न किया था कि क्या गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी लोगों के बी0पी0एल0 राशन कार्ड बन गये हैं, माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा है जी हाँ, फिर कहा 25,326 बी0पी0एल0 के परिवारों का चिन्हीकरण का कार्य चल रहा है। एक तरफ आपने कह दिया सब कार्ड बना दिये, तो यह विरोधाभास हो गया। मान्यवर, दूसरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब हम क्षेत्र भ्रमण पर जाते हैं तो हमसे कहा जाता है कि हमारे कार्ड नहीं बने हैं, तो ऐसे परिवारों को जो वास्तव में बी0पी0एल0 कार्ड के पात्र हैं, क्या उनके कार्ड बनायेंगे, कब तक बनायेंगे?

डॉ0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जानकारी चाही थी कि क्या गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को बी0पी0एल0 कार्ड उपलब्ध करा दिये हैं, मैंने उत्तर दिया था जी हाँ। इसमें भारत सरकार द्वारा प्रदेश सरकार को एक लक्ष्य निर्धारित करके दिया जाता है। भारत सरकार के खाद्य विभाग के दिशा निर्देशानुसार गरीबी की रेखा से नीचे वे परिवार आते हैं जिनकी आमदनी 9000/– रुपये प्रति वर्ष आमदनी होती है। ग्राम्य विकास मंत्रालय द्वारा 22000/– रुपये प्रति वर्ष आमदनी वाले परिवार को गरीबी की रेखा में माना गया है। इस सम्बन्ध में यह अवगत कराया कि हम आरोही क्रम में नीचे से शुरूआत करते हैं। जहाँ वह पूरा हो जाता है, वहां हम गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को राशन उपलब्ध करा पाते हैं। समस्त गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को हम राशन उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। दूसरा सवाल माननीय विधायक जी ने यह पूछा है कि किन–किन लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध कराये जा चुके हैं। बहुत ही स्पष्ट शब्दों में मैंने बताया है कि पूर्व में जो लक्ष्य भारत सरकार द्वारा 3,46,715 रखा गया था उन सभी गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध करा दिये गये हैं, लेकिन जनवरी, 2002 में 74,985 बढ़े हुए बी0पी0एल0 परिवारों की संख्या में 49,659 परिवारों के चिन्हीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष के चिन्हीकरण का कार्य चल रहा है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर कौन से मानक हैं ? कई जनपदों में आये दिन यह शिकायत आ रही है कि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को राशन कार्ड नहीं दिये जा रहे हैं।

डॉ0 हरक सिंह रावत–

समस्त गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने की मंशा इसलिए नहीं है कि चूँकि हम भारत सरकार की गाइड लाइन से बंधे हुए हैं।

श्री अजय भट्ट–

कौन से मानक लिये जा रहे हैं, यह प्रश्न नहीं है।

डॉ० हरक सिंह रावत--

मैं आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ थोड़ा धैर्य रखें, आपने धैर्य छोड़ दिया है इसलिए विरोध में बैठे हैं। जो लक्ष्य हमारे पास है उसमें कुछ गडबडी की आशंका माननीय विधायक जी ने की है। मैंने अपने समस्त अधिकारियों, जिलाधिकारियों और जिलापूर्ति अधिकारियों को लक्ष्य निर्धारित करा दिये हैं। परीक्षण करवा लें।

श्री अजय भट्ट--

मेरा प्रश्न है कि कौन से मानक लिये गये है ?

डॉ० हरक सिंह रावत--

मैं शायद उन्हें समझा नहीं पा रहा हूँ या मेरी समझाने की क्षमता नहीं है। भारत सरकार के दिशा निर्देश हैं कि जिनकी आमदनी नौ हजार रुपये वार्षिक है, उन्हीं को गरीबी की रेखा के नीचे के परिवार माना जाए। शुरूआत हम नीचे से करेंगे। जब 3,46,715 का आंकड़ा पूरा हो जायेगा।

श्री अजय भट्ट--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने जो यह संशोधन करने के निर्देश दिये हैं, यह कब तक पूरा हो जायेगा? कोई समय बता दें?

डॉ० हरक सिंह रावत--

मान्यवर, हमारे प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, हम जल्द ही कार्यवाही करेंगे।

श्री काशी सिंह ऐरी--

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो बताया है वह ठीक है, लेकिन सदन की जानकारी के लिए मैं कुछ और बातें माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा। पहला यह कि, भारत सरकार ने 14 जनवरी, 2002 को कुछ कोटा बी०पी०एल० का बढ़ाया है, तो उसके लिए क्या मानक थे कि उन्होंने 74 हजार कुछ परिवारों को ही कोटा इस प्रदेश को दिया है, इसके पीछे क्या आधार था? यह ज्यादा भी हो सकता था और कम भी हो सकता था।

दूसरा यह कि, आपने बताया कि हमारे यहाँ ग्रामीण विकास मंत्रालय का मानक प्रति परिवार वार्षिक 22 हजार रुपये का है, तो हमारे यहाँ प्रति वार्षिक आय क्या है? हम भारत सरकार से अनुरोध कर सकते हैं कि हमारे यहाँ बी०पी०एल० परिवारों की संख्या ज्यादा है तो हमको और कोटा चाहिए। पहले 3 लाख के लगभग था अब 74 हजार 985 रु० का दिया तो इसका मानक क्या है? हमारे यहां बी०पी०एल० परिवारों की संख्या ज्यादा है तो हम भारत सरकार से मांग कर सकते हैं, तो क्या सरकार इसको पूरा करेगी?

डॉ० हरक सिंह रावत--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सम्मानित सदस्य को यह अवगत कराने जा रहा हूँ कि भारत सरकार ने खाद्य विभाग से शुरूआत करते हुए हमें यह निर्देश दिया है कि 9 हजार

रुपये प्रति वार्षिक आमदनी के परिवार को बी0पी0एल0 की योजना के तहत लाभान्वित किया जाये। आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ वहाँ खाद्य मंत्रालय से अनुरोध करूँगा कि 9 हजार रुपये प्रति वार्षिक आदमनी के परिवार को गरीबी रेखा से नीचे माने जाने के बजाय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरह ही 22 हजार रुपये माना जाये।

दूसरी बात मान्यवर कि मैंने भारत सरकार से यह अनुरोध किया है, हमारे मंत्रालय ने यह अनुरोध किया। बजाए आपको एक लक्ष्य निर्धारित करने के गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले समस्त परिवारों को बी0पी0एल0 योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जाए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं बहुत जल्दी ही प्रदेश के हित में अपने इस कार्य में विरोधी दल के नेता का सहयोग लेते हुए इसे पूर्ण करूंगा चूंकि प्रतिपक्ष के नेता की पार्टी की सरकार दिल्ली में है, अतः मैं उनसे यह अनुरोध करूंगा कि मान्यवर, यह बहुत पीड़ा की बात है कि एक बार सड़क देर से बने तो ठीक है, किन्तु प्रत्येक परिवार को खाद्यान्न उपलब्ध कराना सरकार की प्रथम जिम्मेदारी है अतः मैं निश्चित रूप से इस कार्य हेतु प्रयास करूंगा।

श्री काशी सिंह ऐरी–

एक अनुरोध जिसका जवाब आपने नहीं दिया है, मैंने कहा था कि हमारी प्रति व्यक्ति औसत आय क्या है ? यह आपने नहीं बताया है और प्रति व्यक्ति औसत कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन प्रति व्यक्ति औसत आय क्या है यदि यह मालूम हो जाए तो आप भारत सरकार से आसानी से बात कर सकते हैं ?

डॉ0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, बहुत जल्द ही आपके सुझावों को लेंगे।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार भारत सरकार ने यदि 9000 की प्रति व्यक्ति आय निर्धारित की है। क्या प्रति व्यक्ति 9000 की निर्धारित आय से ऐसे परिवार को चिन्हित किया जा चुका है? यदि हाँ, तो उसमें ऐसे कितने परिवार हैं, जो लाभान्वित हो रहे हैं और कितने शेष हैं? दूसरा जिस प्रकार से अन्य विभागों में ग्रामीण विकास का मानक 22000 निर्धारित किया गया है, क्या माननीय मंत्री जी यह बताना चाहेंगे कि 22000/– वार्षिक आय वाले ऐसे परिवारों को चिन्हित किया गया है, अगर नहीं किया गया है तो यह कब तक होगा? ताकि भारत सरकार से बातचीत करने का पूरा आधार हमारे पास हो।

डॉ0 हरक सिंह रावत–

जो लक्ष्य हमारे पास था उसको चिन्हित करके राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। जो बढ़ा हुआ लक्ष्य था उसको चिन्हित करने की प्रक्रिया लागू हुई है, 49,659 परिवार चिन्हित किए जा चुके हैं और शेष बहुत ही जल्द चिन्हित कर लिए जायेंगे।

श्री अजय भट्ट--

मान्यवर, सदन को गलत सूचना दी गई है। यह सदन को गुमराह करने की बात है।

श्री हरबंस कपूर--

मान्यवर, मैं सदन को अवगत करा चुका हूँ कि जैसे माननीय नेता उत्तराखण्ड क्रान्तिदल ने भावना और इच्छा व्यक्त की थी और उन्होंने स्वयं जानकारी दी थी कि प्रदेश अवगत है कि ग्राम्य विकास की योजनाएँ पूरे प्रदेश में चल रही हैं।

डॉ0 हरक सिंह रावत--

मान्यवर, ग्राम्य विकास की सारी योजनाएं भारत सरकार की हैं। हम यह प्रयास करेंगे कि 22 हजार का लक्ष्य हमको मिल जाए। यह सिर्फ आपकी ही पीड़ा नहीं है, यह पीड़ा सारे सदन की है। हम चाहते हैं कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को सही समय पर अच्छा राशन उपलब्ध कराया जाए। हमें आशा है कि इस सम्बन्ध में आपका सहयोग भी हमको प्राप्त होगा।

श्री गणेश गोदियाल--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के माननीय नेताओं से पूछना चाहता हूँ....

(व्यवधान)

श्री अजय भट्ट--

मान्यवर, सदन की कार्यवाही नियमों के अनुसार चलनी चाहिए। अगर सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य ही विपक्ष से सवाल पूछने लगेंगे तो हम अपने अधिकार का उपयोग कैसे कर सकेंगे ?

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री [डॉ0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश]--

मान्यवर, माननीय सदस्य श्री मातबर सिंह कण्डारी जी ने जो प्रश्न पूछा है, उसके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहती हूँ कि भारत सरकार द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं, उनका पालन प्रदेश सरकार द्वारा किया जाता है। जो मानक भारत सरकार निर्धारित कर देती है, उन्हीं के अनुसार प्रदेश सरकार कार्य करती है। उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के नेता श्री काशी सिंह ऐरी ने जो बात उठायी कि यदि हम पर्वतीय क्षेत्रों का आंकलन करें तो वार्षिक आय 9 हजार से भी कम निकलेगी, यह सही है। इस सम्बन्ध में हम भारत सरकार से अनुरोध करेंगे कि हमारी औसत आय इतनी है इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों में यह औसत आय सम्मिलित की जा सकती है। इस तरह से बी0पी0एल0 कार्डों की संख्या बढ़ सकती है। जब हम अपने क्षेत्र में जाते हैं तो प्रत्येक निर्वाचित प्रतिनिधि के सामने यह स्थिति आती है, लोग कहते हैं कि हमारे बी0पी0एल0 कार्ड नहीं बन रहे हैं। अगर कहीं से यह शिकायत आती है कि बी0पी0एल0 कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं, तो उनको बनाने के निर्देश दिए जाएंगे।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, माननीय मातबर सिंह कण्डारी जी का प्रश्न है कि क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को बी0पी0एल0 राशन कार्ड प्रत्येक जनपद के प्रत्येक ब्लाक में बन चुके हैं? मान्यवर, उत्तर आया कि जी हाँ। जी हाँ। इसके बाद में इसमें लीपा–पोती की गई। भारत सरकार से जो दिशा निर्देश दिये गये वो नौ हजार रुपये के थे। पूरे उत्तरांचल में बी0पी0एल0 की सीमा तय कर दी गई है और उत्तर में मान्यवर, कहा गया कि सभी परिवारों को राशन कार्ड बना दिये गये हैं। अब इससे पीछे हटा जा रहा है। मान्यवर, आप संरक्षण दें। सदन में सदस्यों को सही जानकारी मिलनी चाहिए।

डॉ0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, उत्तरांचल में 3,46,715 परिवार बी0पी0एल0 की सीमा में आते हैं। इन सभी को राशन कार्ड उपलब्ध करा दिये गये हैं। मान्यवर, यह उत्तर गलत कैसे है। अब इन्होंने आगे प्रश्न किया कि अगला लक्ष्य क्या है?

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

मान्यवर, लक्ष्य था 3,46,715 का जिसके सापेक्ष सभी को अर्थात् 3,46,715 को राशन कार्ड उपलब्ध करा दिये गये हैं।

नेता प्रतिपक्ष (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, मैं यह नहीं कहता कि उत्तर किसी गलत भावना से बताया गया है। वैधानिक रूप से इस सवाल के उत्तर में पहले कहा गया कि हमने सभी को राशन कार्ड दे दिये। मान्यवर, मैं नेता सदन से निवेदन करूँगा कि उत्तर बनाने में सावधानी बरती जाये। आपने कह दिया कि हमने हर ब्लाक में राशन कार्ड दे दिये हैं। बाद में आपने जो उत्तर दिया, इस पर मुझे एतराज है। इसे ठीक कराया जाये।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, यह उत्तर निश्चित रूप से आपके अधिकारियों द्वारा गलत बनाया हुआ है। मेरा अनुरोध है कि इसको ठीक किया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप बैठिये।

श्री हरबंस कपूर–

माननीय मंत्री जी भारत सरकार से प्राप्त करने जा रहे हैं और उन्हें यह नहीं मालूम कि 9000 की जो सीमा तैयार की गयी है, उसके अन्तर्गत कितने लोगों को चिन्हित किया गया है। मान्यवर, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है।

पेयजल मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं जो समझ पाया हूँ, यह उत्तर सही है, सिर्फ समझाने में फर्क आ रहा है।

डॉ० (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आप हमारी रक्षा करें, निर्णय करने का अधिकार आपको है। मान्यवर, इस प्रश्न का उत्तर सही है, जो उन्होंने बताया 3,46,715। मान्यवर, यह निर्णय तो आपको करना है। आप स्वयं पढ़िये और ये प्रश्न जो सरकार द्वारा दिया गया है। मान्यवर, हमें यह स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि सरकार द्वारा दिया गया उत्तर सही नहीं है।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, 94,715 की सीमा में कितने परिवार आते हैं? मान्यवर, 9000 की जो सीमा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यदि आप उत्तर से संतुष्ट नही हैं तो आप नियम के अन्तर्गत इस पर चर्चा की मांग कर लें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न काल समाप्त हुआ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) उत्तरांचल संशोधन (प्रथम संशोधन) अध्यादेश, 2001

संसदीय कार्य मंत्री [डॉ० (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश]–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) उत्तरांचल संशोधन (प्रथम संशोधन) अध्यादेश, 2001 को सदन के पटल पर रखती हूँ।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मद संख्या–2 पहले कृषि मंत्री जी ने सदन के पटल पर रखा, फिर उसके बाद माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने रखा।

श्री अध्यक्ष–

यह सामूहिक उत्तरदायित्व है।

डॉ० (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपको एक वर्ष का अनुभव है तो हमारा भी 28 वर्ष का अनुभव है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुरोध पर मद संख्या–3 को स्थगित किया जाता है।

मद संख्या–5 में एक सूचना प्राप्त हुई है इसका मैं पहले परीक्षण करा लेता हूँ।

नोट :– तारांकित प्रश्न सं० 1 के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, नियमानुसार यह तो करेंट मामला है, आपको तो अपरिमित शक्ति है, मैं व्यवस्था चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

इसका परीक्षण करा लेंगे।

उ0 प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) उत्तरांचल संशोधन (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2002 का पुरःस्थापन

*कृषि मंत्री (श्री महेन्द्र सिंह माहरा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) उत्तरांचल संशोधन (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) उत्तरांचल संशोधन (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) उत्तरांचल संशोधन (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–8 व मद संख्या–9 माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुरोध पर स्थगित किया जाता है।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

अब मैं नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ले रहा हूँ।

शिक्षा बन्धु, शिक्षा मित्र व विजिटिंग फैकल्टी के अध्यापकों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय भट्ट–

महोदय, लम्बे समय से रिक्त पड़े अध्यापकों के पदों के कारण उत्तरांचल के विद्यालयों में पठन–पाठन की समस्या उत्पन्न हो गई थी जिसके निराकरण के लिए निवर्तमान सरकार ने शिक्षक बन्धु, शिक्षक मित्र एवं विजिटिंग फैकल्टी जैसी तुरन्त प्रभावी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

योजनाएं चलाकर विद्यालयों का कार्य सामान्यतः प्रारम्भ करवाया जिसके परिणामस्वरूप छात्र–छात्राओं को सम्बन्धित विषयों की शिक्षा दी जा सकी, परन्तु अब ज्ञात हुआ कि बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था के सरकार, शिक्षक बन्धु, शिक्षक मित्र एवं विजिटिंग फैकल्टी की व्यवस्था को समाप्त कर रही है, जो कि उत्तरांचल के छात्र–छात्राओं के हित में एकदम अव्यवहारिक है तथा ऐसा करने से जहाँ एक ओर कई शिक्षित नवयुवक बेरोजगार हो जायेंगे वहीं छात्र–छात्राओं को पठन–पाठन से वंचित रहना पड़ेगा।

अतः इस सूचना के माध्यम से सरकार का ध्यानाकर्षण करते हुए इन शिक्षक बन्धु, शिक्षक मित्र एवं विजिटिंग फैकल्टी के बतौर कार्य करने वाले शिक्षित बेरोजगारों में नियमित करने के निर्देश देने एवं किसी भी दशा में इन्हें न हटाने हेतु निर्देशित किया जाए।

जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र काशीपुर के गांवों में विद्युत आपूर्ति, विद्युत पोलों के बजाय केबिल तारों के माध्यम से किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र काशीपुर के गांवों में विद्युत वितरण व्यवस्था विद्युत पोलों के माध्यम से न होकर एक मकान से दूसरे मकान पर केबल के तारों के माध्यम से की गयी है, जिस कारण ग्रामीण जन आए दिन खुले तारों से दुर्घटनाग्रस्त होते रहते हैं। विद्युत पोलों की व्यवस्था हेतु बार–बार अनुरोध करने पर भी व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की जा सकी है। इस अवलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।

जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम चौसाला में आसमानी बिजली गिरने से जानमाल की क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, दिनांक 02–02–02 को विधवा श्रीमती देवकी देवी कार्की ग्राम चौसाला जनपद पिथौरागढ़ के मकान में दिन के दो बजे आसमानी बिजली गिरने से चार जानवर मौके पर ही मर गये तथा मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। परिवार के चार सदस्य बेहोशी की हालत में पाये गये, जिसकी सूचना श्रीमती दुबुली देवी कार्की द्वारा पट्टी पटवारी को दे दी गयी, लेकिन अभी तक उपचार हेतु तथा मरे हुये जानवरों का तथा क्षतिग्रस्त मकान का मुआवजा नहीं दिया गया।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर तत्काल कार्यवाही की जाय।

जनपद हरिद्वार में खुर–पका तथा मुंह–पका बीमारी के भयंकर प्रकोप की रोकथाम तथा निदान के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, जनपद हरिद्वार में पालतू जानवरों में खुर–पका तथा मुंह–पका बीमारी का भयंकर प्रकोप हो गया है। सम्पूर्ण जनपद के दूरस्त ग्रामीण अंचल के कई गांव इसकी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चपेट में आ गये हैं, जिस कारण दुग्ध उद्योग प्रभावित हुआ है। कई दुधारू पशु असमय मौत के शिकार हो गये हैं। विभाग द्वारा रोगों की रोकथाम तथा निदान के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।

जनपद रुद्रप्रयाग में अधिकारियों के पद सृजन एवं विकास कार्य करवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, जनपद रुद्रप्रयाग में अभी तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा) तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी के पद सृजित नहीं हुए हैं। फलतः विकास कार्य कराने में जनता को कई परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। रुद्रप्रयाग की जनता को अपने कार्य करवाने हेतु पौड़ी, गोपेश्वर तथा नई टिहरी जाना पड़ता है।

मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जनपद रुद्रप्रयाग में जिन अधिकारियों के पद सृजित नहीं हुए हैं उनका सृजन किया जाए ताकि जनता को अपने विकास कार्य करवाने हेतु अपने ही जनपद के अधिकारियों तक सीमित रहना पड़े।

श्री अध्यक्ष–

301 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण सूचना माननीया विधायक विजय बड़थ्वाल जी ने दी है, यह सूचना प्रश्न के रूप में नहीं लगाई जायेगी। नेता प्रतिपक्ष इस प्रश्न को ध्यानाकर्षण के रूप में लगायें।

दिनांक 18 मार्च, 2002 को उपवेशन के दिन तथा 14 व 15 मार्च को माननीय सदस्यगण के शपथ ग्रहण कार्यक्रम व अध्यक्ष के निर्वाचन के दिन मा0 मुख्यमंत्री जी के विधानसभा मंडप में उपस्थित रहने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, विधान सभा सदन में उपवेशन के दिन से आज तक तथा 14 मार्च व 15 मार्च को माननीय सदस्यगणों के शपथ का कार्यक्रम माननीय अध्यक्ष के निर्वाचन के दिन था। माननीय मुख्यमंत्री जी सदन के अन्दर बैठे थे, जबकि वह इस सदन के सदस्य नहीं हैं जिसके कारण संविधान के अनुच्छेद 188 और उत्तर प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन की नियमावली के नियम 5 और नियम 6 का उल्लंघन हुआ है।

मान्यवर, यह जो उत्तरांचल राज्य की विधान सभा है, वह संविधान के अनुच्छेद–3 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके संसद ने उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2000 के माध्यम से इसका गठन किया था और इसमें प्राविधान किया गया था कि उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्य की विधान सभाओं में स्थानों की संख्या 403 और 70 होगी। मान्यवर,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसके आधार पर यह जो पहली विधान सभा है इसकी संख्या 70 है। यह सदन उत्तर प्रदेश कार्य संचालन नियमावली के आधार पर संचालित होता है।

मान्यवर, नियम 5 में शपथ और प्रतिज्ञान का प्रावधान है। मान्यवर, जो सभी 70 सदस्य विधान सभाओं से चुनकर आए हैं वे माननीय सदस्य तभी कहलाएंगे जब वे इसका पालन करें। मान्यवर, इसमें प्रावधान है–"माननीय सदस्य सदन में अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राज्यपाल अथवा उनके द्वारा एतदर्थ नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, अनुच्छेद 188 के अधीन उस रूप में जो कि संविधान की तीसरी अनुसूची में एतदर्थ विहित है, शपथ ग्रहण करेंगे अथवा प्रतिज्ञान करेंगे तथा उस पर एवं एतदर्थ प्रयोजनार्थ रखी गई पंजी में हस्ताक्षर करेंगे"। इस सदन में वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है, बैठ सकता है जिसने संविधान के अनुच्छेद 188 के तहत स्थान ग्रहण किया हो, उसके तहत उसने शपथ ग्रहण कर ली हो।

संविधान के अनुच्छेद 188 का प्रावधान है कि "राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राज्यपाल या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा"। और इसी भारत के संविधान के अनुसार उत्तरांचल राज्य का भी गठन हुआ है। इस राज्य को हमें भारतीय संविधान के अनुरूप ही चलाना होगा। मान्यवर, आप ध्यान देंगे नियमावली, 1958 उत्तर प्रदेश की, इसके अध्याय एक में सदस्य का तात्पर्य सभा के सदस्य से है और अनुच्छेद 177 के प्रयोजन के लिए उसमें मंत्री और महाधिवक्ता भी शामिल हैं और सदन का तात्पर्य विधान सभा से है। मान्यवर, यह विधान सभा 70 की है, इसमें 70 सदस्य हैं। मान्यवर, आपका ध्यान संविधान के अनुच्छेद 173 की ओर भी आकृष्ट कराना चाहता हूँ। राज्य के विधान मण्डल की सदस्यता के लिए अर्हता है। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं जोड़ रहा हूँ। यह पहला सदन है और कोई इस तरह की परम्परा यहाँ लागू नहीं होनी चाहिए कोई भी ऐसी परम्परा, जो कार्य संचालन नियमावली का पालन न करते हों, नहीं होनी चाहिए। मान्यवर, संविधान का अनुच्छेद 173 कहता है– "कोई भी व्यक्ति किसी राज्य के विधान मंडल के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित तभी होगा जब"– मान्यवर, इसी अनुच्छेद के भाग (ग) पर मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ– "उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं हैं जो इस निमित्त संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाएं"। मान्यवर, मैं इसी क्रम में अनुच्छेद 173 के भाग (क) को भी पढ़ रहा हूँ– "वह भारत का नागरिक है और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है"। तीसरी अनुसूची में जो रिटर्निंग ऑफिसर (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

*श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, यह हमारे अधिकारों का हनन है, यह सब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*सहकारिता एवं पशुपालन मंत्री (श्री मंत्री प्रसाद नैथानी)–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस सदन की कार्यवाही परम्पराओं के अनुसार चले, इसकी जिम्मेदारी पूरा सदन लेता है और यहां पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे किसी को ठेस पहुँचे।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, मैं बर्दाश्त शब्द को वापस लेता हूँ।

(व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने की आज्ञा दी है। अगर इस तरह से संख्या बल के आधार पर हमें दबाने की कोशिश की जाएगी तो मैं अपनी बात नहीं कह पाऊँगा।

मान्यवर, यह हमारा सौभाग्य है कि श्री नारायण दत्त तिवारी जी हमारे बीच में बैठे हैं, जिन्हें 50 वर्षों से अधिक का अनुभव है और माननीया संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि उन्हें 28 वर्षों का अनुभव है। हम आपके द्वारा कही बातों को नजीर मानकर उनसे सीखने का प्रयास करते हैं। मान्यवर, मैं 7 दिसम्बर, 1970 की उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यवाही का अंश आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने इसमें कहा था– "यह सदन आज मिल रहा है लेकिन यह बड़े आश्चर्य की बात है कि इस सदन का कोई नेता नहीं है। सदन नेता की कुर्सी पर एक ऐसे महानुभाव बैठे हैं जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं। इससे पूर्व कि इस सदन की कार्यवाही शुरू हो, प्रश्नोत्तर शुरू हो, मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूँ कि आप सदन के नेता की व्यवस्था करें क्योंकि प्रश्नोत्तर के बाद कंडोलेंस के प्रस्ताव आयेंगे, उस पर विवाद की परिपाटी नहीं है इसलिए यह आवश्यक है कि प्रश्नोत्तर से पहले यह निर्णय हो जाए कि सदन का नेता कौन है? आज इस समय जो महानुभाव सदन नेता की कुर्सी पर बैठे हैं वह राज्य सभा के सदस्य थे और इस समय भी राज्य सभा के सदस्य हैं"। माननीय मुख्यमंत्री जी एक सिद्धान्तप्रिय व्यक्ति हैं, मुझे आशा है कि वह अपनी बात से मुकरेंगे नहीं। इसी कार्यवाही में माननीय तिवारी जी ने आगे कहा था– "गवर्नर ने उनको चीफ मिनिस्टर की शपथ दिलवाई है इसलिए फिलहाल काम चलाने के लिए चीफ मिनिस्टर यह हैं, अपनी सरकार के, हम उनको चीफ मिनिस्टर नहीं मानते"।

मान्यवर, यह व्यवस्था का प्रश्न है। यह प्रश्न दिनांक 03–12–1970 को माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने एक सदस्य की हैसियत से पूछा था। मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री पद के कर्तव्य बताये गये हैं :

प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह–

(क) राज्य के कार्यों के प्रशासन सम्बन्धी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं सम्बन्धी मंत्रिपरिषद् के सभी विनिश्चय राज्य को संसूचित करें,

(ख) राज्य के कार्यों के प्रशासन सम्बन्धी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं सम्बन्धी जो जानकारी राज्यपाल मांगे, वह दें; और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(ग) किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किन्तु मंत्रि-परिषद् ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किये जाने पर परिषद् के समक्ष विचार के लिए रखें।

मान्यवर, यह मुख्यमंत्री के दायित्व संविधान में दिये गये हैं। लेकिन कहीं पर यह नहीं लिखा गया है कि जो व्यक्ति सदन का सदस्य न हो, वह नेता सदन की कुर्सी पर बैठ सकता हो। उत्तरांचल की जनता ने इस कांग्रेस पार्टी को पूरी 36 सीटें दीं, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक ऐसे व्यक्ति को बैठा दिया गया जो सदन का सदस्य नहीं है। यदि सत्ता पक्ष के पास कोई ऐसा सदस्य नहीं है जो नेता सदन बन सके तो मैं विपक्ष से किसी सदस्य का नाम नेता सदन के लिए दे सकता हूँ। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

मान्यवर, मैं संविधान के अनुच्छेद 193 का भी हवाला देना चाहता हूँ। मान्यवर, नये सदस्यों को शायद जानकारी नही है कि किस नियम के तहत बात उठाई जा सकती है।

(व्यवधान)

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि आप सदन को व्यवस्थित करें।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, यदि किसी माननीय सदस्य की भावनाओं को ठेस पहुँची हो तो मैं अपनी बात वापस लेने के लिए तैयार हूँ।

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, हमें ठेस पहुँची क्योंकि हमसे कहा जा रहा है नेता सदन विपक्ष से चुन लिया जाये।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं अनुच्छेद 193 पढ़ देता हूँ यदि किसी राज्य के विधान सभा या विधान परिषद् में कोई व्यक्ति अनुच्छेद 188 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने से पहले, या यह जानते हुए कि मैं उसकी सदस्यता के लिए अर्हित नहीं हूँ या निरर्हित कर दिया गया हूँ या संसद या राज्य के विधान मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों द्वारा ऐसा करने के प्रतिषिद्ध कर दिया गया हूँ सदस्य के रूप में बैठता है या मत देता है तो वह प्रत्येक दिन के लिए जब वह इस प्रकार बैठता है या मत देता है, 500 रुपये की शास्ति का भागी होगा जो राज्य को देय ऋण के रूप में वसूल की जाएगी।

मान्यवर, यह पहली विधान सभा है आप निर्णय दें क्योंकि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए नजीर बनेगी।

*पंचायती राज मंत्री (श्री प्रीतम सिंह)–

मान्यवर, यह हमें तय करना है कि हमारा नेता कौन होगा?

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, जो इन्होंने कहा कि हमारे यहां से नेता ले लीजिए यह तो एक प्रकार से सदन का अपमान है।

राजस्व मंत्री (श्री हरक सिंह रावत)–

मान्यवर, मैं आपकी इस भावना से सहमत हूँ। मान्यवर, हो सकता है, वहां कोई तोड़–फोड़ हो रही हो और वे हमारे साथ आ रहे हों।

संसदीय कार्य मंत्री [डॉ0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश]–

मान्यवर, माननीय प्रकाश पंत जी ने औचित्य का प्रश्न उठाया है और उन्होंने हमारे माननीय तिवारी जी के किसी उद्धरण 1970 का दिया है। बड़ी प्रसन्नता है कि वे सदन में पहली बार विपक्ष में बैठे हैं, अब तक वे सत्तापक्ष में थे। आज उन्होंने अच्छा प्रश्न किया है और यह भी सही है कि उन्होंने अपनी बात औचित्य के रूप में प्रस्तुत की है। मान्यवर, यह हमारा सौभाग्य है और देश की आजादी के बाद जब पहली बार विधान सभा बनी और माननीय प्रकाश पंत जी का भी ये सौभाग्य है, कि लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री तिवारी जी 1952 में उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य बने और 1952 में प्रथम विधान सभा गठित हुई। मान्यवर, हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं। मान्यवर, उस समय उत्तरांचल राज्य की कल्पना नहीं की गयी थी। यह हमारा सौभाग्य है कि संविधान की 50 वर्ष पुरानी किताब मुझे पढ़ने को मिली। मान्यवर, ज्ञान हम किसी से भी और किसी भी अवस्था में सीख सकते हैं। मैं बधाई देती हूँ श्री प्रकाश पंत जी को कि उन्होंने संविधान का प्रश्न उठाया। 1970 में जो लिखा गया उसकी कार्यवाही उनके पास है, मान्यवर, ऐसे एक नहीं अनेक उद्धरण हैं।

मान्यवर, उनके द्वारा समय–समय पर निर्णय लिये गये। माननीय तिवारी जी इस सम्बन्ध में संवेदनशील हैं। सभी माननीय सदस्य उनके अनुभव, ज्ञान और शैली सीखना चाहते हैं। जहाँ तक पदों का सवाल है मुझे यह कहने में आपत्ति नहीं है। उत्तर प्रदेश में बार बार वह मुख्यमंत्री रहे हैं, वे भारत सरकार में भी महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं, हम भी उनसे संयम और शालीनता सीख लें। आपने 3 जनवरी का कार्यवृत्त प्रस्तुत किया था, उन्होंने वह मंगाया इसका उल्लेख इस सदन का मार्ग निर्देशन करेगा और यह आगे के लिए भी एक नजीर होगी। जब श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव ने औचित्य का प्रश्न उठाते हुए कहा कि जो व्यक्ति लोक सभा या विधान सभा के सदस्य नहीं हैं वे मुख्यमंत्री तो हो सकते हैं, किन्तु नेता सदन नहीं हो सकते। माननीय सदस्य ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 24 की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि नेता सदन कौन है, स्थिति स्पष्ट नहीं है। श्री प्रमोद कुमार ने उक्त नियमावली के अध्याय–1 की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि केवल मा0 सदस्य को ही इंगित किया जा सकता है जब मुख्यमंत्री सदस्य नहीं हैं तो उनको कैसे इंगित कर सकते हैं, क्योंकि नियमावली में इस बारे में कोई प्राविधान नहीं है।

श्री जगदम्बिका पाल एवं कुंवर रेवती रमण सिंह ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि नेता सदन के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि सन् 1952 से लेकर अब तक 30 मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री को लेकर हुए हैं। आठ ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। शुरूआत

स्व0 श्री चन्द्रभान गुप्त से हुई जो 7–12–60 को बिना किसी सदन का सदस्य हुए नेता सदन भी रहे और मुख्यमंत्री भी हुए। 1963 में श्रीमती सुचिता कृपलानी बिना किसी सदन का सदस्य हुए, नेता सदन भी हुई और मुख्यमंत्री भी हुई। 1970 में श्री टी0एन0 सिंह नेता सदन भी हुए और मुख्यमंत्री भी हुए। 1973 में श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा मुख्यमंत्री भी हुए और नेता सदन भी हुए। वह किसी सदन के सदस्य नहीं थे। मान्यवर, श्री राम नरेश यादव जी विराजमान हैं यहाँ पर, 23–6–77 को वह मुख्यमंत्री भी थे और नेता सदन भी थे और किसी सदन के सदस्य नहीं थे।

9 जून, 1980 को मा0 वी0पी0 सिंह जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री व नेता सदन बने और उस समय वह किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। मान्यवर, उसके बाद श्री नारायण दत्त तिवारी जी 25–6–88 को मुख्यमंत्री भी बने और नेता सदन भी बने और वह किसी सदन के सदस्य नहीं थे। सुश्री मायावती जी 3 जून, 1995 को मुख्यमंत्री और नेता सदन भी बनी। यह सवाल इससे पूर्व कई बार उठाया गया। बड़े विस्तार से इस बारे में चर्चा भी हुई। विद्वान साथियों की राय आयी और विद्वान सदस्यों की राय के बाद पीठ से निर्णय हुआ। मैं केवल एक निर्णय का उल्लेख करना चाहती हूँ, आपका समय बरबाद नहीं करना चाहती। अभी बीच में टोका–टाकी की गई और यह कहा गया कि लोग बाद में चुने गये। बाद में तो यह भी चुने जाएंगे और बहुत मजबूती से चुने जाएंगे।

मैं केवल एक निर्णय का उल्लेख करना चाहती हूँ। मैं 1985–89 के मा0 अध्यक्षों के आदेशों की संकलन पुस्तक से उद्धृत करना चाहती हूँ। 1988 में यह प्रश्न उठाया गया था। माननीय नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री व नेता सदन बने थे। बड़े विस्तार से चर्चा हुई थी और उसके बाद तत्कालीन अध्यक्ष ने अपनी व्यवस्था दी थी। उसमें उन्होंने कहा था कि "उपर्युक्त पृष्ठभूमि में मैं इस मत का हूँ कि नेता सदन के बारे में पुराने निर्णय में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है और श्री नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री होने के साथ–साथ नेता सदन भी रह सकते हैं"। माननीय श्री ए0जी0 खेर साहब के सामने यह प्रश्न उठाया गया। खेर साहब ने विस्तार से समीक्षा करने के बाद स्पष्ट निर्णय यह दिया कि परिपाटी है, परम्परा है, कहीं भी संविधान का इसमें उल्लंघन नहीं है जो भी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे या चुने जायेंगे इस पक्ष के माननीय सदस्यगण के द्वारा, उसके बाद को प्रतिबंध इस बात का नहीं है कि वे नेता सदन नहीं हो सकते हैं।

उक्त विषय पर विस्तृत विचार करने के उपरान्त उ0प्र0 विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर ने यह निर्णय दिया था कि मुख्यमंत्री नेता सदन रहेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री ने यह भी कहा कि चुनाव में हारे हुए लोग भी मुख्यमंत्री बनाये गये हैं।

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि 31 दिसम्बर, 1999 को निधन के निदेश के समय मुख्यमंत्री को पीठ से नेता सदन के रूप में पुकारा गया था और विपक्ष के नेताओं ने उन्हें नेता सदन मानते हुए उस दिन उनके विचारों से अपने को सम्बद्ध करने की बात कही है तो भ्रमात्मक स्थिति कैसे उत्पन्न हुई?

संसदीय कार्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री नेता सदन हैं और रहेंगे।

श्री अधिष्ठाता ने अपना निर्णय देते हुए कहा कि विधान मण्डल के किसी सदन का सदस्य न होने के बावजूद मुख्यमंत्री नियुक्त होने और उसके नाते नेता सदन होने के

सम्बन्ध में पूर्व में भी अनेकों बार दिनांक 23 सितम्बर, 1963, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970, दिनांक 10 जनवरी, 1977, दिनांक 28 जनवरी, 1981 तथा दिनांक 4 अक्टूबर, 1988, को ऐसे निर्णय दिए जा चुके हैं, जिनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि उनके दल ने जिसे अपना नेता चुना, वह मुख्यमंत्री है इसलिए वह सदन के नेता हैं। इस सम्बन्ध में पूर्व में दिए गये निर्णयों में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। अतः उक्त प्रकरण को यहीं समाप्त करके इस औचित्य के प्रश्न को अस्वीकार किया जाता है।

श्री अध्यक्ष–

श्री प्रकाश पंत और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे प्रकरणों पर पूर्व में भी विधान सभा में निर्णय हो चुके हैं। माननीय नेता सदन के बारे में पुराने निर्णय में कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री, जो विधान सभा के निर्वाचित सदस्य न भी हों, नेता सदन हो सकते हैं, सदन में बैठ सकते हैं। अतः इस औचित्य के प्रश्न को अस्वीकार किया जाता है।

वर्तमान सरकार को उत्तरांचल की जगह कुछ मा0 सदस्यों द्वारा उत्तराखण्ड सम्बोधन के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, यह उत्तरांचल राज्य हम को बड़े संघर्ष के बाद मिला और विधिवत् रूप से भारत सरकार ने इसका नाम उत्तरांचल राज्य रखा और आज भी इस सदन में जो कार्य–सूची हमको मिली उत्तरांचल विधान सभा के नाम से मिली। मगर, इस सदन में हमारे कुछ माननीय सदस्य उत्तराखण्ड नाम से संबोधन करते हैं, मेरा निवेदन है कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार ने यह बात कही कि हम इस राज्य का नाम उत्तराखण्ड राज्य रखेंगे। मेरा प्रश्न है कि नाम बदलने से क्या होगा, हमको और सरकार को विकास कार्य करना है। मेरा निवेदन है कि यह विधिवत् रूप से यह प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास जाता है और नाम परिवर्तन हो जाता है। तब इस सदन में उत्तराखण्ड पुकारा जाये तो हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जब तक नाम में परिवर्तन भारत सरकार नहीं करती है तब तक उत्तरांचल राज्य के नाम से ही संबोधन होना चाहिए।

संसदीय कार्य मंत्री [डॉ0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश]–

मान्यवर, श्री कण्डारी जी ने औचित्य का प्रश्न उठाया है। मान्यवर, औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वाचन या प्रवर्तन के सम्बन्ध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायेगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो।

6–(क) कोई सदस्य जानकारी मांगने के लिए, या

6–(ख) कोई सदस्य अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए; या

6–(ग) कोई सदस्य जब प्रस्ताव पर कोई प्रश्न सदन के सामने रखा जा रहा हो।

तो कदाचित ऐसा प्रश्न कोई सदस्य नहीं उठा सकता है, तो यह औचित्य का प्रश्न ही नहीं बनता है। इसलिए जब कभी यह प्रस्ताव के रूप में आयेगा, तब उत्तर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मातबर सिंह कण्डारी तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य की जो भी बात थी इसका उल्लेख महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में है और इस पर चर्चा की जा सकती है और इस सम्बन्ध में जो भी सत्ता पक्ष की ओर से प्रस्ताव आता है तो आपसे मेरा निवेदन है कि आपत्ति कर सकते हैं। इस विषय में संविधान की प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः इस औचित्य के प्रश्न को मैं अस्वीकार करता हूँ।

कार्य मंत्रणा समिति का कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष जी–

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 19 मार्च, 2002 की बैठक में दिनांक 20 मार्च, 2002 से 22 मार्च, 2002 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :–

मार्च, 2002

20, बुधवार

(1) औपचारिक कार्य।

(क) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (उत्तरांचल संशोधन) (प्रथम संशोधन) अध्यादेश, 2001 का प्रस्तुतीकरण।

(ख) देव. संस्कृति विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2002 का प्रस्तुतीकरण।

(2) धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा।

(3) (क) वित्तीय वर्ष 2001–2002 हेतु द्वितीय अनुपूरक अनुदान पर विचार, चर्चा एवं पारण।

(ख) उत्तरांचल विनियोग (2001–2002 का अनुपूरक) विधेयक, 2002 का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण।

(ग) वित्तीय वर्ष 2002–2003 के एक भाग के लिए लेखानुदान का पारण।

(घ) उत्तरांचल विनियोग (2001–2002 का लेखानुदान) विधेयक, 2002 का पुरःस्थापन, चर्चा एवं पारण।

21, गुरुवार

(1) धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा।

(2) विधायी कार्य।

(क) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (उत्तरांचल संशोधन) (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2001 पर विचार एवं पारण (15 मिनट)।

22. शुक्रवार (1) धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा एवं मतदान।

(2) असरकारी दिवस (आधा दिन)।

संसदीय कार्य मंत्री [डॉ0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश]--

मान्यवर, कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना, माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकार हुआ)

श्री अजय भट्ट--

मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि 21 तारीख का जो एजेण्डा हमें दिया गया है, इसका जो ''ख'' पोरशन है उसे निरस्त समझा जाएगा।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश--

अभी इसे स्थगित किया गया है।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

कार्य--स्थगन प्रस्ताव के रूप में श्री हरबंस कपूर, श्री अजय भट्ट, श्री नारायण पाल, श्री निजामुद्दीन, श्री मातबर सिंह कण्डारी, श्री प्रकाश पंत और श्री हरभजन सिंह चीमा की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

श्री हरबंस कपूर--

मान्यवर, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने मुझे नियम 56 में अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, दिन प्रतिदिन प्रदेश में कानून व्यवस्था गंभीर रूप धारण कर रही है। कल भी कुछ प्रकरणों को लेकर सदन में चर्चा हुई थी। दिन--दहाड़े चोरियां और महिलाओं के गले से चेन खींचा जाना आम बात हो गयी है, जो कि प्रदेश की कानून व्यवस्था की दृष्टि से अत्यंत चिन्ताजनक है। मान्यवर, इस बात से सम्पूर्ण सदन सहमत होगा कि जब तक प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ नहीं होगी, तब तक प्रदेश विकास की ओर आगे नहीं बढ़ सकेगा। अभी परसों की बात है, सहस्त्रधारा रोड पर दो दुकानों में चोरी हो गयी। इसी तरह से किसी भी कालोनी, किसी भी बस्ती में महिलाओं का आना--जाना सुरक्षित नहीं रह गया है। बसंत विहार चौकी के अन्तर्गत परसों शाम को एक महिला जब बाजार जा रही थी, तो उसके गले से चेन छीन ली गयी। जिस घटना का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, वह अत्यंत संवेदनशील और गंभीर है। 18 तारीख को दिन के लगभग 12 बजे भूमि विकास बैंक शाखा के प्रबन्धक अपने कार्यालय जा चुके थे।

मान्यवर, उनकी पत्नी घर में अकेली थी। कुछ नकाबपोश घर में घुसे, उस महिला के मुंह पर पट्टी बांधी और पिस्टल निकाल कर उसकी कनपटी पर लगा दी और कहा कि

शोर मचाया तो गोली मार देंगे। 15–20 मिनट तक बहुत ही निश्चिंत होकर उन्होंने घर की प्रत्येक आलमारी, बक्से को खोला और उसमें जो नगदी करीब 20 हजार रुपये और जेवर, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि लूट कर घर से बाहर चले गये। मान्यवर, ये वारदातें आम हो गई हैं और इससे नागरिकों का जीवन असुरक्षित हो गया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा कराएं जिससे कि सभी लोग अपने आप को सुरक्षित समझ सकें। धन्यवाद।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, आप हमारे संरक्षक हैं। अभी आपकी पीठ से निर्देश जारी हुआ कि नियम 56 की केवल 3 ही सूचनाएं ली जाएंगी। मान्यवर, अभी उत्तरांचल विधान सभा उत्तर प्रदेश की कार्य संचालन नियमावली के तहत ही चल रही हैं। वर्ष 1996 में जो आदेश जारी हुए थे वे पृष्ठ संख्या–6 पर दिये गये हैं, मैं उसे पढ़ देता हूँ :

"किसी उपवेशन हेतु नियम 56 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं में से अध्यक्ष अधिकतम 10 ऐसी सूचनाओं को चयनित करेंगे जो नियम 58 तथा 59 की शर्तों को पूरा करती हों और अध्यक्ष के विवेक में महत्वपूर्ण हों।"

मान्यवर, आप हमारे संरक्षक हैं। अगर आप तीन ही सूचनाएं लेंगे तो हमें बहुत दिक्कत हो जायेगी। मान्यवर, आप कम से कम 5 सूचनाएं अवश्य लें।

संसदीय कार्य मंत्री [डॉ0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश]–

मान्यवर, माननीय प्रकाश पंत जी जिसका उल्लेख कर रहे हैं, वह 425 सदस्यों के लिए बनाई गई थी, जबकि हमारे यहां केवल 70 सदस्य ही हैं। जब आप इस पीठ पर विराजमान थे तब भी हम केवल तीन ही सूचनाएं नियम 56 की देते थे।

श्री अध्यक्ष–

संख्या के आधार पर ये सूचनाएं ली जा रही हैं लेकिन कोई आधार या मानक तो तय करना ही पड़ेगा।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, इस पर विचार कर लें, कम से कम यह संख्या पांच कर दी जायें।

डॉ0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय कपूर जी ने जो विषय उठाया है, वह निश्चित रूप से चिंता की बात है क्योंकि देहरादून शहर के अंदर ही घर में घुसकर बन्धक बनाकर मार–पीट की गई। इसके प्रति सरकार बहुत गम्भीर है और तत्काल निर्देश दिये गये। इसका मुकदमा अपराध संख्या 160–2002, 394 आई0पी0सी0 बनाम अज्ञात के अन्तर्गत दाखिल हुआ है। अधिकारी घटना स्थल पर पहुँच चुके हैं। सात अपराधिक चरित्र वाले व्यक्तियों से पूछताछ की गई है। अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि मार–पीट किसने की? यह विभागीय सूचना प्राप्त हुई है। इस सूचना की गम्भीरता को देखते हुए हम निर्देशित करते हैं कि तत्काल इस पर कार्यवाही कर, जानकारी कर अविलम्ब, पूरी तत्परता के साथ अवगत कराया जाये।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री हरबंस कपूर जी को ग्राह्यता पर सुनने के बाद और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद मैं इसे अग्राह्य करता हूँ।

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बड़ा आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। हम सभी को जानकारी है कि विगत कई साल पहले उत्तरांचल राज्य बनाओ आन्दोलन हुआ था, उस आन्दोलन के बाद जब हमारे इस राज्य के आन्दोलन करने वाले बहुत सारे लोग इसमें शहीद हुए, कई घायल हुए और उसके पश्चात् उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको मुआवजा दिया और उन्हें आन्दोलनकारियों की परिधि में शामिल किया, उसके बाद जब इस सरकार से पूर्व की सरकार शासन में थी तो यहां के नौजवान, जिन्होंने उत्तरांचल की लड़ाई लड़ी और इसमें कई शहीद हुए, घायल हुए। जो इससे पूर्व की सरकार थी तो उन्होंने जिला प्रशासन के माध्यम से उन शहीद परिवारों की और जो आन्दोलन में विकलांग हुए हैं, उनकी सूची मांगी थी। जो शहीद परिवार के नौजवान हैं उनको नौकरी मिलेगी, जो विकलांग हैं उनको आर्थिक सहायता दी जायेगी। न नौजवानों को नौकरी मिली और न आर्थिक मुआवजा मिला।

मान्यवर, मैं इस सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से इस सदन में मांग करता हूँ कि ये जो सरकार है, वह ऐसे जो नौजवान हैं, विकलांग हैं, उनको नौकरी तथा आर्थिक मुआवजा दें। मान्यवर, नौकरी के लिए उनकी क्या व्यवस्था करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से इस सदन में अपना वक्तव्य देने की मांग करता हूँ।

डॉ0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, हमारे नेता अभी चुनकर आये हैं, मैं उनका आदर करती हूँ, यह प्रश्न नियम 56 के अन्तर्गत इसकी सूचना नहीं थी, परन्तु आपने इसे स्वीकार किया मैं इसका उत्तर देना चाहूंगी, इस सरकार से पूर्व की सरकार ने राज्य आन्दोलनकारियों को मुआवजा और नौकरी देने हेतु नाम मांगे थे, लेकिन आज तक नौकरी नहीं दी गयी।

मान्यवर, उत्तरांचल राज्य दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी लोग उनके प्रति संवेदनशील रहे हैं। अब तक मुआवजे के रूप में 6 करोड़ 8 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया है। शहीदों के परिवारों के 21 सदस्यों को नौकरी दी जा चुकी है। मृतक एवं लापता व्यक्तियों की संख्या 24 है जिनके वारिसों को 10 लाख रुपये प्रतिकर के रूप में कुल धनराशि दो करोड़ चालीस लाख दिया गया और गम्भीर रूप से घायल व्यक्तियों की संख्या 59 है जिन्हें रुपये 25 हजार प्रति व्यक्ति मुआवजे के रूप में कुल धनराशि 14 लाख 75 हजार और रोंगफुल कन्फाइनमेंट के लिए 50 हजार रुपये प्रति व्यक्ति दिया गया और कुल धनराशि एक करोड़ निन्यानबे लाख रुपये दिया गया और बलात्कार की शिकार हुई महिलाओं की संख्या 7 है जिन्हें 10 लाख प्रति महिला दिया गया और कुल धनराशि 70 लाख है और जिन महिलाओं की मर्यादा का उल्लंघन हुआ हो तथा जिनके साथ अश्लील व्यवहार किया गया हो उनकी संख्या 17 है इन्हें 5 लाख प्रति महिला, कुल धनराशि 85 लाख रुपये दिया गया। इस तरह कुल धनराशि 6 करोड़ 8 लाख 75 हजार रुपये अब तक

वितरित किया जा चुका है लेकिन अन्य भी अभी भागीदार हैं इसका परीक्षण कराया जा रहा है। इस सम्बन्ध में शासन का निर्णय आ जायेगा, उसके बाद इस पर निर्णय लिया जायेगा।

*श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री ने इस सूचना पर उत्तर दिया, इस सम्बन्ध में आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि यह मुआवजा दिये जाने की जानकारी माननीय मंत्री जी ने दी है, उनको ज्ञात है कि यह उच्च न्यायालय के आदेशानुसार हुआ है। शहीदों के परिवारों को नौकरी देने का कार्य उत्तरांचल सरकार ने किया है। आन्दोलन में 42 लोग शहीद हुए हैं, यह परीक्षण का विषय है, कुछ और शहीद हुए हैं जिनको मान्यता नहीं मिली इसका परीक्षण करना चाहिए। माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान दें। दूसरा मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि एक और छूटे हुए शहीदों के परिजनों को नौकरी देने का निश्चय कर इस बात की व्यवस्था की जाय। जो शहीदों की श्रेणी में नहीं आया किस आधार पर आप उनको चिन्हित करेंगे, इस पर भी आप कार्यवाही करेंगे। तीसरी बात नौकरी देने के अलावा भी शहीदों के परिजनों को जिनके त्याग से बलिदान से हम यहाँ पर बैठे हैं उनके परिवारों की सहायता सम्मान के प्रति कोई विचार करेंगे, यह मैं आपसे जानना चाहता हूँ।

डॉ0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय काशी सिंह ऐरी जी ने जो अपेक्षा की, यह सही है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए भुगतान हुआ है। आप और हम सहयोगी रहे हैं, आपकी भावनाओं का मैं आदर करती हूँ, इस पर विचार–विमर्श करके निष्कर्ष निकालेंगे उनका पालन करेंगे।

मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी ने जो अभी स्पष्टीकरण प्राप्त किया उसके सन्दर्भ में महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में महत्वपूर्ण उल्लेख प्रारम्भ में ही किया गया है। हम सभी इस सदन के सदस्य हैं। जिन शहीदों, जिन आन्दोलनकारियों ने अपना सब कुछ दांव में लगा दिया राज्य के निर्माण के लिए, हम उन्हें क्या मुआवजा दे सकते हैं। शहीद तो अमर होते हैं, उनकी स्मृति अमर है, उनके कृत्य अमर हैं। लेकिन उच्च न्यायालय के आदेशों का परिपालन करते हुए तथा हमारा दायित्व भी है जो भी सम्भव होगा तथा पुराने पिछले शासन ने जो निर्णय लिये हैं उनका आदर करते हुए अवश्य की जायेगी। मैं हर सदस्य से आग्रह करूँगा कि ऐसे कोई भी नाम जो छूट गये हों, किसी भी श्रेणी में आते हों, उनके नाम शासन को भेजें। जो कुछ भी हों, उन्हें अवश्य देंगे। उनके लिए पत्रम्, पुष्पम्, फलम् तोयम्।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता सदन को सुनने के बाद, ग्राह्यता को सुनने के बाद मैं इसे अग्राह्य करता हूँ।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे नियम 58 की सूचना पर बोलने का अवसर दिया है। मान्यवर, मैं एक ऐसी घटना को आपके संज्ञान में आपके माध्यम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से लाना चाहता हूँ कि पूरे उत्तरांचल में वन संरक्षण अधिनियम के कारण हम एक भी वृक्ष नहीं काट सकते हैं और तो और खेतों में लगे किसी भी पेड़ को नहीं काट सकते हैं। जिसके कारण जलाऊ लकड़ी का अकाल पड़ गया है, इसे शिथिल किया जाए। क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश हैं, इसलिए कुछ मजबूरी है। आज ही मुझे दूरभाष पर सूचना प्राप्त हुई है कि उत्तरांचल ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के, सबसे बड़े सरकारी उद्यान जो चौबटिया, रानीखेत में है, जंगलों के बीच में है। जहाँ आम आदमी जा नहीं सकता है। वहाँ से कुछ लकड़ियों को काट कर ले जाते हुए कुछ लोगों ने देखा, वहां 500 से अधिक फलदार पेड़ काट दिए गये हैं। यह अपने आप में एक गम्भीर मामला है। जहां एक-दो पेड़ काटना मुश्किल हो, वहाँ इतनी मात्रा में फलदार वृक्ष काट दिये गये हों, यह एक गम्भीर घटना है। महोदय यहां से चिपको आन्दोलन चलाया गया, जो विश्व प्रसिद्ध रहा है। इसलिए मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि यह बहुत ही अविलम्बनीय लोकमहत्व का प्रश्न है इसलिए आज पूरे सदन की कार्यवाही रोककर इस पर तुरन्त चर्चा कराई जाए।

डॉ0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश-

यह प्रश्न नियम 56 के अन्तर्गत बनता ही नहीं जो विवरण मुझे प्राप्त हुआ है। यह सही है चौबटिया उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्यान है और बड़ा प्रसिद्ध है। एक जमाने में इसके फल की नुमाइश लगाई जाती थी। लेकिन क्षमा करें जब आप सरकार में थे तो आपके स्तर पर यह निर्णय किया गया। इसका परीक्षण पंत नगर विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष श्री रनवीर सिंह के नेतृत्व में आपने इस उद्यान का निरीक्षण करने का आदेश दिया था।

मान्यवर, उक्त विशेषज्ञ दल की संस्तुति के आधार पर राजकीय उद्यान चौबटिया को एक आदर्श उद्यान के रूप में परिवर्तित करने का निदेश दिया गया। मान्यवर, चौबटिया राजकीय उद्यान को आदर्श किये जाने का कार्य किया जा रहा है और पुराने वृक्षों को गिराना तथा नई प्रजातियों को लगाये जाने का कार्य किया जा रहा है। मान्यवर, जानकारी माननीय उद्यान मंत्री और स्वयं माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से प्राप्त कर ली गई थी, क्योंकि चौबटिया एक महत्त्वपूर्ण राजकीय उद्यान है। अनुपयोगी और पुराने वृक्षों के सम्बन्ध में वन विभाग से जानकारी प्राप्त कर लिया गया है और इस क्षेत्र में कार्य कराया जा रहा है। लेकिन, आपने नियम 56 में यह प्रश्न उठाया है, विभाग इसकी जांच करेगा और पता करेगा कि किन परिस्थितियों में चौबटिया उद्यान में हुआ।

श्री अध्यक्ष-

श्री अजय भट्ट और माननीया संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इसे अग्राह्य करता हूँ। जिनकी सूचना नहीं सुनी गई है वह किसी अन्य नियमों में अपनी बात रख सकते हैं।

महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा

*श्री फूल सिंह बिष्ट-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने अपनी बात रखने का मुझे मौका दिया। मैं कहना चाहता हूँ कि जो महामहिम राज्यपाल जी ने अपने वक्तव्य में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार के कार्यों का ब्योरा प्रस्तुत किया है उससे उत्तराखण्ड की जनता अपने को गौरवान्वित महसूस करती है। चुनाव के समय लोग कहते थे कि चुनो उस व्यक्ति को जो शासन चलाना जानता हो। मान्यवर, जब हम विकासखण्ड, जिला खण्ड में बैठते थे तो सोचते थे कि कैसे इस पहाड का भला हो।

आज वह अवसर मिला और इस अवसर का लाभ उठाते हुए लोग बहुत प्रशंसा कर रहे हैं इस सरकार की। आदरणीय भण्डारी जी को बहुत वक्त मिला है, उनको शायद कांग्रेस की सरकार को सुनने का वक्त नही मिला, उन्होंने अपनी मंशा प्रकट की और बार–बार मैंने उन्हें सुना। उन्होने कहा सरकार कहती कुछ है और लिखती कुछ है। मैं आपको विश्वास दिलाते हुए कहना चाहूंगा कि यह सरकार जो कहेगी वही करेगी। माननीय अध्यक्ष जी अभी यह जो सरकार की मंशा का 74 मदों का पुलिन्दा, एक सांकेतिक पुलिन्दा प्रस्तुत किया गया है उसमें इस प्रदेश को जो जड़ी–बूटी का प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया, उसके लिए मैं अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ और जैसा कि कहा गया कि इस प्रदेश की स्थिति के आधार पर अगर इसकी मंशाओं को सोचा जाता और यदि इसकी सम्भावनाओं पर कार्य किया जाएगा तो जड़ी–बूटी ही इस प्रदेश का सबसे बड़ा तंत्र होगा। विशेष रूप से प्रतापनगर विकासखण्ड में जड़ी–बूटी की विशेष सम्भावनाएं हैं और लोगों ने वहाँ उसको देखा है उसमें मैं जड़ी–बूटी के निदेशालय को बदलने की बात नहीं करता लेकिन उसकी अन्य शाखाएं खोली जाएँ। इसको बहुत गम्भीरता से लेना होगा जो निश्चित रूप से इस प्रदेश के अर्थ–तंत्र के लिए उपयोगी साबित होगा।

टिहरी बाँध के लोगों के बारे में इस मद में जो कुछ किया गया है मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि टिहरी बांध को बनाने की बात की गई है वहाँ अभी टिहरी के लोगों को जो 14 करोड़ का प्रतिपूर्ति भत्ता दिया गया वह प्रतिपूर्ति भत्ता सही लोगों को नहीं मिला, मैं चाहूंगा इसकी जाँच कराई जाए। जिन्हें वास्तव में यह भत्ता मिलना था उन्हें आज तक प्रतिपूर्ति भत्ता नहीं दिया गया है और जिन्हें दिया गया उन्हें किसी औचित्य के आधार पर नहीं दिया गया। आज भी वहाँ के जो लोग हैं 1976 कट ऑफ डेट मानी गई है, उस परिवार के एक व्यक्ति की उम्र 21 वर्ष थी, 4 भाई रहे होंगे एक बाप के। हनुमन्त राव कमेटी की सिफारिश है कि 21 वर्ष के व्यक्ति को परिवार की एक इकाई मानी जाए।

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि कट ऑफ डेट के आधार पर लोगों का पुनर्वास होना चाहिए। आज मेरा क्षेत्र प्रताप नगर और भिलंगना आदि उससे बहुत प्रभावित हैं। यह बांध सम्पूर्ण भारत वर्ष के हित के लिए बन रहा है। मैं मांग करना चाहता हूँ कि जिन लोगों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, उनके हितों की रक्षा की जाए। यदि उनके बारे में बहुत विनम्रतापूर्वक विचार नहीं किया जाता, उनके परिवार के लोगों को नौकरी नहीं दी जाती है, तो गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। भारत के किसी भी क्षेत्र में उनको नौकरी दी जा सकती है। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि टिहरी बांध को बनाने में जिस तरह की धांधली हो रही है, उनकी जांच होनी चाहिए। वहां के लोगों के असली हक को छीनने का जो काम किया जा रहा है, उसकी समीक्षा की जानी चाहिए और उस पर रोक लगायी जानी चाहिए। वहां के लोगों के मकानों और जमीनों के पुनर्वास के लिए 582 करोड़ रुपया खर्च करने की जो बात कही गयी थी, उसमें से सिर्फ 94 करोड़ रुपया ही अभी खर्च

किया गया है, इसकी भी जांच की जानी चाहिए। टिहरी क्षेत्र में अभी भी लगभग 7 हजार लोग रह रहे हैं जबकि पिछली सरकार की रिपोर्ट है कि अब वहां पर कोई नहीं रहता है। इसकी भी जांच की जानी चाहिए। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक डिग्री कालेज में एक प्रधानाचार्य की नियुक्ति की गयी है, जो 6–6 विषयों को पढ़ाने का काम करते हैं।

श्री अध्यक्ष--

अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री फूल सिंह बिष्ट--

मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि मैं एक नया सदस्य हूँ, मुझे अपनी बात पूरी करने का अवसर प्रदान करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

कई अन्य माननीय सदस्य भी अपने विचार रखना चाहते हैं।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा करने का अवसर दिया। उत्तरांचलवासियों की सामाजिक एवं राजनैतिक सोच अग्रणी है। नये राज्य की जिस कल्पना के साथ उत्तरांचल राज्य प्राप्ति का आन्दोलन किया गया था, राज्य गठन से वह कल्पना साकार हुई। नये राज्य की नव–निर्वाचित विधान सभा और सरकार से उत्तरांचलवासी नयी आशा की किरण देख रहे थे, परन्तु माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने जो रूपरेखा रखी है, उससे आशा कम और निराशा अधिक झलकती है। यहां की महिलाओं के चिपको आन्दोलन, राज्य प्राप्ति आन्दोलन सहित कई आन्दोलनों में भागीदारी रही है, लेकिन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में महिलाओं के समग्र विकास के लिए किसी ठोस कार्यक्रम का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अलावा जिन विषयों पर गहन चिन्तन की आवश्यकता थी, उन्हें गैर जिम्मेदारी से लिया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जो कई बार केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में भी कई बार मंत्री रह चुके हैं और कई बार उत्तर प्रदेश की विधान सभा में मुख्यमंत्री रहे हैं से आशा की जाती थी कि इस नये, छोटे राज्य में एक ठोस आर्थिक ढांचा बनाने के लिए अपने लम्बे अनुभव का प्रयोग करेंगे, लेकिन हमारे हाथ निराशा ही लगी।

इस राज्य का वित्तीय घाटा कैसे पूरा किया जायेगा? कब तक केन्द्र सरकार की विशेष सहायता पर सरकार निर्भर रहेगी? सरकार संसाधन किस प्रकार से बढ़ायेगी यह स्पष्ट नहीं है। रोजगार के लिए अभिभाषण में जिन अवसरों का उल्लेख किया गया है, वह पूर्ववत् ही हैं और अधिक कारगर साबित नहीं हुए हैं। सरकार किस प्रकार 2 लाख बेरोजगारों को रोजगार देगी। यदि सरकार गैर सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने की सोच रही है, यह एक अच्छी निवेश नीति के अभाव में कैसे संभव हो सकता है। क्या उत्तरांचल के निवेश का उपयुक्त स्थान बनाने के लिए सरकार तत्काल कदम उठायेगी। अध्यक्ष जी स्वरोजगार के अवसरों का सृजन तथा ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि के साथ पशु पालन को बढ़ावा दिया जायेगा, इसका अभिभाषण में उल्लेख है। यह सराहनीय कदम है। लेकिन पशुओं को चारा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध

में सरकार की कोई योजना नहीं है। घास, पत्ती की समस्या उत्तरांचल की ग्रामीण महिलाओं की समस्या है। जिससे वे वर्षों से जूझ रही हैं। अध्यक्ष जी, जो आबादी वन क्षेत्रों के राष्ट्रीय पार्कों में आती है, वहां के निवासियों का सामान्य जन जीवन वन संरक्षण कानूनों के तहत प्रभावित हो रहा है। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि एक योजनागत तरीके से इस समस्या का हल किस तरीके से निकाला जाये।

माननीय अध्यक्ष जी, 650 गांवों में बिजली पहुंचाने में समर्थता व्यक्त करने वाली सरकार, गावों में सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल का वायदा करती है। सरकार शायद जानती ही नहीं कि अधिकतम गांवों में बिजली ही नहीं है। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में टेलीमेडिसिन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की बात है। सरकार को शायद यह भी नहीं मालूम कि अधिकतर गांवों में चिकित्सक भी नहीं हैं। मान्यवर, सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि दूरस्थ गावों में शिक्षक और चिकित्सक उपलब्ध रहें, इसके लिए महिला शिक्षा व स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होगा। मान्यवर, उत्तरांचल में आबकारी नीति पर भी सरकार को विशेष ध्यान देना होगा इसके लिए एक महिला आबकारी कमेटी बनानी चाहिए, क्योंकि महिलाएं इससे अधिक प्रभावित हैं। मान्यवर, मैं इस विधान सभा में अपने प्रथम सम्बोधन को इस आशा के साथ समाप्त करती हूँ कि हम सब मिलकर एक सुदृढ़, स्वावलम्बी राज्य की स्थापना करेंगे। मान्यवर, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का विरोध करती हूँ।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, इस सदन में, सत्ता पक्ष में मेरे पिता जी के गुरू तथा श्री प्रकाश पंत जो हमारे नेता और मेरे गुरू हैं, वे यहां मौजूद हैं। मैं अपना सम्बोधन एक शेर से करता हूँ–

यहां लिबास की कीमत है, आदमी की नहीं
मुझे गिलास बड़ा दे, शराब कम कर दे।

एक बार एक शराबी बैठा बड़बड़ा रहा था, मेरी पत्नी ने मुझे लखपति बना दिया, उसका साथी सामने बैठा था, उसने कहा यार आपको खुश होना चाहिए कि आपकी पत्नी ने आपको लखपति बना दिया, फिर उसने कहा यार मैं पहले करोड़पति था अब लखपति बन गया। मान्यवर, यही हाल हमारे नेता सदन का भी है।

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पापुलेशन के बारे में कहीं जिक्र नहीं किया गया है। पापुलेशन न केवल उत्तरांचल की समस्या है, बल्कि पूरे विश्व की समस्या है। मान्यवर, आबादी पर नियंत्रण होना चाहिए।

मान्यवर, पर्यावरण पर चर्चा हुई, लेकिन पर्यावरण की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी हमारे यहाँ समस्या पॉलिथिन की है, अगर एक नजर नदी नालों में या खुले पार्कों में देखें तो चारों तरफ पॉलिथिन ही पॉलिथिन मिलेगा। मैं अपना एक सुझाव देता हूँ कि इसके व्यापार और बनाने में पाबंदी लगायी जाय, जिस तरह अवैध हथियारों पर पाबंदी लगी हुई है, यह आने वाले समय में एक नजीर बन जायेगी। ऐसा लगता है कि अभिभाषण दिशाहीन है। चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। आपका बिजली का बिल 500 आना चाहिए वह 1500 आयेगा। जड़ से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार है। पर्यावरण की बार–बार चर्चा की जाती है, पेड़ लगाने की बात की जाती है। हमारे बड़ों ने पेड़ लगाये कि मुझे इससे आमदनी होगी, मैं किसान हूँ, मुझे घर में पैसा चाहिए मगर उनको काटने

की अनुमति नहीं मिलती है। मैंने कोई गैर कानूनी कार्य नहीं किया, मैंने पहले उन पेड़ों को सुखाया फिर उन पेड़ों को काटा। हमारे सचिव (श्री टोलिया जी) मंगलौर में पंतनगर की एक टीम के साथ आये थे। उन्होंने भी वहाँ बागों के पास भट्ठे देखे हैं, जबकि बाग के पास कोई भट्ठा नहीं होना चाहिए।

मान्यवर, पिछले हफ्ते रात के समय 25 घर दलितों के लूटे गये जब कि 10 किलोमीटर पर पुलिस चौकी है। मुझे पता चला कि उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई। पेड़ वगैरह के कटान का मामला पुलिस से खत्म कर दें, इसको लॉ एण्ड आर्डर कहाँ तक कर पायेगा।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। मंगलौर एक खासा बड़ा कस्बा है उत्तरांचल के हिसाब से मेट्रो पोलिटिन सिटी है वहाँ पर सिर्फ एक अस्पताल है एक-दो बेड उस हास्पिटल में पड़े हैं। डाक्टर आते नही हैं। मैंने तो कभी नहीं देखे। दवा उपलब्ध नहीं है कोई एम्बुलैंस नहीं है। वन गुजरों के बारे में बात की गई, वे कई महीनों से धरने पर बैठे हैं लेकिन उनको सुनने वाला कोई नहीं है। वहाँ पर टिहरी बाँध वालों को बसाया जा रहा है। जंगली जानवरों की बात की गई उनको रोकने के लिए ताड़-बाड़ की बात की गई। जंगली जानवर फसलों को बरबाद कर रहे हैं उसको पकड़ने का कोई इंतजाम नहीं है। क्योंकि वे वन्य जीव हैं। कल के दिन अगर मैं हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दूँ कि चूहे अनाज खाते हैं, उन्हें क्यों मारा जाता है। एफ0सी0आई0 का गेंहूँ चूहा खाता है इसलिए उसे मारा जाता है किसान का गेंहूँ नहीं।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने गन्ना क्षेत्र बढ़ाने की बात कही है। जब आप पार्लियामेन्ट में थे उस वक्त भी यह विधेयक प्रस्तुत हुआ था। उस समय भी यह बात रखी गई थी। हो सकता है यह बात पसंद न आए। उत्तर प्रदेश की मिलें वहाँ का गन्ना 115 रुपये प्रति क्विंटल ले रही है। कैश पेमेंट हो रहा है। हमारा गन्ना 90 रुपये प्रति क्विंटल ले रही है। हमारे यहाँ की पैदावार भी वैसी ही है। बड़ा कष्ट होता है। हमारे साथ वहाँ सौतेला व्यवहार हो रहा है। गन्ना कमाण्ड एरिया बढ़ाने की बात कही है मैं इस बात की बधाई देता हूँ लेकिन एक चीज इसमें कमी रह गई। शहीद स्थल के सौन्दर्यीकरण की बात नहीं कही गई है। शहीद स्थल रामपुर तिराहा भी उत्तरांचल में शामिल कर लिया जाए बहुत कठिन बात नहीं है। हम जितना सम्मान करेंगे उत्तर प्रदेश के लोग उतना सम्मान नहीं कर सकते हैं।

मान्यवर, आखिर में मैं अपनी बात कहता हूँ कि जनसंख्या पर सरकार कुछ न कुछ खर्च करेगी, चाहे अभिभाषण में हो या न हो। लोग कहते हैं कि विरासत में कुछ चीजें ली हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यह अभिभाषण भी आप को विरासत में मिला है। (व्यवधान)

मैं एक शेर कह देता हूँ :

उनका जो फर्ज वह एहलेशियासत
मेरा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक फैले।

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं, 3 बजे तक के लिए।

(सदन 1 बजकर 35 मिनट पर भोजनावकाश के लिए स्थगित हुआ)

(भोजनावकाश)

(सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में अपरान्ह 3 बजे पुनः आरम्भ हुई)

*श्री अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद पर चर्चा करने के लिए समय दिया। मैं राज्यपाल के अभिभाषण का पूर्ण समर्थन करता हूँ और अपनी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने इस दस्तावेज में "गागर में सागर" की कहावत को चरितार्थ करते हुए उत्तराखण्ड राज्य की जन–भावना को सूक्ष्म, सारगर्भित शब्दों में परिलक्षित किया है। मान्यवर, विकास पुरुष आदरणीय नारायण दत्त तिवारी जी के नेतृत्व में जो अभिभाषण का दस्तावेज सदन के पटल पर रखा गया है वह जन–भावनाओं के अनुरूप, उनकी कार्य–क्षमता, अनुभवों एवं जन–कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रबल इच्छा शक्ति का प्रतिबिम्ब है। मान्यवर, उत्तराखण्ड के शहीदों को नमन करते हुए उत्तरांचल के स्थान पर उत्तराखण्ड किये जाने के हमारे सरकार के प्रस्ताव का मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ तथा धन्यवाद देता हूँ अपनी सरकार को कि इन्होंने इस देवभूमि की सांस्कृतिक पहचान उत्तराखण्ड शब्द का संरक्षण एवं संवर्द्धन किया है, वास्तव में उत्तराखण्ड शब्द हमारी सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। आज से 100 साल पहले श्री शालिगराम वैष्णो प्रथम व्यवस्थापक बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी ने अपनी पुस्तक "श्री उत्तराखण्ड रहस्य" में उद्धृत किया है– "भारतवर्ष में कौन सी ऐसी हिन्दुस्तानी संस्कृति होगी जिसने उत्तराखण्ड का नाम न सुना हो"। मान्यवर, ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर उत्तराखण्ड शब्द का सर्वप्रथम उत्तरापथ का उल्लेख पाणिनी के अष्टाध्याय तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलता है। डॉ0 शिव प्रसाद डबराल के अनुसार पौराणिक साहित्य में गंगाद्वार, श्वेत–पर्वत, मध्य हिमालय तथा तमसा विक्रहम पौष से बदार तक के क्षेत्र को केदार खण्ड और उससे पूर्व की ओर साजी शारदा तक के क्षेत्र को मानस खण्ड बताया गया है। उत्तरपथ के पूर्व पर और केदार मानस के खण्ड के उत्तरपथ के सहयोग से उत्तराखण्ड नाम की व्युत्पत्ति हुई है जो कि समीचीन और तथ्यपरक है। मान्यवर, उत्तराखण्ड के शहीदों और जनता के लिए उत्तराखण्ड का नाम जो कि हमारी सरकार ने इसके संशोधन के लिए प्रस्तावित किया है, मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी सरकार को, इसलिए कि उसने इस अभिभाषण में तथ्यों की लफ्फाजी नहीं की है, बल्कि प्रबल इच्छा–शक्ति को परिलक्षित किया है।

मान्यवर, इस दस्तावेज में बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो इच्छा–शक्ति व्यक्त की गई है वह सराहनीय है। मैं क्षमा चाहूँगा प्रतिपक्ष से, शिक्षा बन्धु और शिक्षा मित्र और चाहे डिग्री कालेज प्रवक्ता के रूप में जो बेरोजगार नवयुवकों को चौराहों पर रोजगार देने के लिए खड़ा किया गया है, मेरा मानना है कि उनके साथ सरासर धोखा किया गया है।

मान्यवर, इस बात के लिए मैं अपनी सरकार की सराहना करता हूँ कि उन्होंने शिक्षा बन्धु तथा शिक्षा मित्र और पूर्व में एल0टी0 के जो 223 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं तथा डिग्री कालेजों के प्रवक्ताओं को नियमों के तहत समायोजित और नियमित करने की जो मंशा व्यक्त की है, उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह अशासकीय विद्यालयों के साथ भी पूर्ववर्ती सरकार ने खिलवाड़ किया। एक तरफ तो पदों के सृजन पर रोक लगा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दी और दूसरी तरफ अनुरक्षण अनुदान के लिए कोई ठोस नीति निर्धारित नहीं की। आज ऐसे कई अनुरक्षण अनुदान काफी लम्बे समय से लम्बित पड़े हैं। मैं आशा करता हूँ कि इस ओर हमारी सरकार अवश्य ध्यान देगी। मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार की 7 दिसम्बर, 1986 की राजाज्ञा में जिला मुख्यालय गोपेश्वर को जड़ी–बूटी शोध संस्थान बनाने की संस्तुति की गयी थी। परन्तु पूर्ववर्ती सरकार द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिससे वह मामला जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ है। मैं अपनी सरकार से निवेदन करूँगा कि गोपेश्वर के शोध संस्थान को उसके मूल स्वरुप के अनुसार खोला जाए।

तीर्थाटन और पर्यटन को बढ़ावा देने की सरकार की मंशा की मैं सराहना करता हूँ। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जोशीमठ में हिम क्रीड़ा को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि वहां पर राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हिम क्रीड़ाएं आयोजित की जा सकें। इससे यह प्रदेश की आय का प्रमुख साधन बन सकता है। हमारी सरकार ने एक ओर जहां प्रतिपक्ष के उपलब्धियों की सराहना की है, वहीं दूसरी ओर कामों की ओर भी इशारा किया है। मेरा मानना है कि प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष से अधिक बनती है क्योंकि उन्हें इस नये राज्य में 15 महीने तक शासन करने का अवसर मिला है। यह सही है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा भाषण तो दे सकती है लेकिन अच्छा शासन नहीं कर सकती और कांग्रेस भाषण भले ही अच्छा न दे पाए लेकिन शासन करना बहुत अच्छी तरह जानती है। मैं आशा करता हूँ कि प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य हमको भाषणों में न उलझा कर काम करने का अवसर प्रदान करेंगे। जय हिन्द।

*श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, अगर सदन के सम्मानित सदस्य सहमत हों तो कृपया लफ्फाजी शब्द जो असंसदीय है, को कार्यवाही से हटा दिया जाए।

संसदीय कार्य मंत्री [डॉ0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश]–

मान्यवर, यह शब्द असंसदीय नहीं है। फिर भी इसकी जगह पर कोई और शब्द इस्तेमाल किया जा सकता था।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में नेता प्रतिपक्ष ने जो संशोधन रखे उस पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। उत्तरांचल प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए जहाँ हमारे आय के स्रोत कम हैं, वहाँ खर्च बहुत अधिक हैं। अभिभाषण में आपने दो लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही, 2007 तक हर गांव को बिजली देने की बात कही और तीन वर्ष में हर गांव को पानी देने की बात कही है। जो हमारे आय के स्रोत हैं, उन्हें 2–3 साल में दूना कैसे किया जायेगा, किस प्रकार इस प्रदेश में आमदनी को ढाई गुना किया जायेगा, इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मान्यवर, प्रतिवर्ष 500 मेगावाट बिजली देने की बात अभिभाषण में कही गई है, जबकि उत्तरांचल में जो हमारी परियोजनाएं चल रही हैं उनमें उत्पादन लगातार घटता जा रहा है। मान्यवर, जहाँ दो टरबाईन चलती थी, आज वहां एक ही टरबाईन चल रही है। भूकम्प आदि के कारण पानी का स्रोत दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है। इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया है। 2007 तक आपने हर गाँव को बिजली

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देने की बात कही है। जबकि हालत यह है कि जिन गांवों में बिजली के दो पोल भी गाडे गये और मात्र 2–3 लोगों ने ही बिजली का कनेक्शन लिया उन गाँवों को भी विद्युतीकृत मान लिया गया है।

पर्यटन के क्षेत्र में उत्तरांचल का विशिष्ट स्थान है। जहाँ एक ओर रमणीक पर्वतीय स्थल हैं और दूसरी ओर ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल हैं। यही कारण है कि विदेशी पर्यटक आज उत्तरांचल में आ रहे हैं। मान्यवर, जो विशिष्ट मेले हैं, उनका प्रभाव कम होता जा रहा है। हमें ऐसे मेलों को चिन्हित करके उनका विस्तार करना होगा। पाताल भुवनेश्वर जो विश्व की अद्भुत चीज है, उसके सौन्दर्यीकरण का उल्लेख अभिभाषण में नहीं किया गया है। डीडीहाट में सिराकोट एक धार्मिक स्थल है। आपने अभिभाषण में कहा कि हम हर गाँव को पानी देंगे। मान्यवर, जिन गाँवों में 1–2 साल पहले पेयजल के साधन जुटाये गये थे, आज उनमें पानी नहीं आ रहा है। जलस्रोत सूखते जा रहे हैं, पहाड़ों में जल का संरक्षण नहीं किया जा सकता है। मान्यवर, मेरा सुझाव है पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसे पेड़ लगाये जायें जो जल संरक्षण में सहायक हों। स्वास्थ्य के बारे में आपने कहा है कि हम तहसील स्तर पर अस्पताल खोलेंगे। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसे–ऐसे गाँव हैं जहाँ पैदल का रास्ता है और पैदल पहुँचने में 2–2 दिन तक लग जाते हैं। इस गाँवों के बारे में अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं किया गया है। उत्तरांचल को जड़ी–बूटी प्रदेश के रूप में विकसित करने की बात आपने कही है।

मान्यवर, हमारे यहां कई जड़ी बूटियां ऐसी हैं, जो प्रतिबंधित हैं और जो नेपाल के माध्यम से अमरीका जा रही हैं। कई जड़ी–बूटियां ऐसी भी हैं, जिनकी जानकारी हमें नहीं है, जिससे हम उन जड़ी–बूटियों का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। मान्यवर, हमारे प्रदेश में जिस प्रकार से दैवीय आपदा से बादल फटते हैं, भूस्खलन होता है, इससे प्रभावित परिवारों की पुनर्स्थापना की व्यवस्था जिलाधिकारी के कोष में की जाय। इससे सम्बन्धित लोगों को तात्कालिक राहत मिल सकती है। राहत कोष यदि जिलाधिकारी के पास होगा तो यह कार्य त्वरित गति से होगा। मान्यवर, जनपद पिथौरागढ़ में जो लोग भूस्खलन से प्रभावित हैं, उनको पंचायत घरों में रखा गया है, इनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाय।

मान्यवर, जहां तक शिक्षा की बात है, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में शिक्षा की बात है, इसमें कम्प्यूटर की बात कही गयी है, लेकिन कई विद्यालय ऐसे हैं जहा शिक्षक ही नहीं हैं। धारचूला और मुनस्यारी में ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जो आज भी बंद पड़े हैं। धारचूला विधान सभा जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है, इस क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र घोषित किया जाय, वहां के लोगों की वेशभूषा, खान–पान, रहन–सहन एक समान है। मान्यवर, आज इस क्षेत्र की जनता की जनभावनाओं को देखते हुए इस क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र घोषित करने का कष्ट करें। मान्यवर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया। इसके लिए मैं पुनः आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ।

*चौ0 यशवीर सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, मैं बोलने से पहले दो लाईन पेश कर रहा हूँ :–

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यहां नेकी बदी हो, गौर से सुन

जीतें कदम उठने से पहले सोच ले, अंजाम क्या होगा।

भलाई से भलाई होगी, बुराई से बुराई होगी।

(हंसी)

मान्यवर, माननीय नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री के रूप में यहां पर बैठे हैं, यह हमारा सौभाग्य है।

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपना भाषण दिया था उसमें कृषक वर्ग के लिए कोई ठोस बात नहीं रखी। मान्यवर, जिस प्रदेश का किसान खुशहाल है वह प्रदेश भी खुशहाल होगा। काश्तकार के लिए प्रो–पलो का रेशियो बढ़ाकर वहीं कर दी जाय जो अन्य प्रदेशों में हैं। चकबन्दी की व्यवस्था करें और जिससे कि हवाई चक बन्द हो जायें, इससे भ्रष्टाचार कम होगा और किसानों को लाभ होगा। किसानों को मिलने वाली खाद समय पर उपलब्ध हो जाय, यह किसान के लिए अच्छी बात होगी। गन्ने का भुगतान हमारे यहाँ समय से नहीं हो पा रहा है, जिससे वह विद्युत बिलों का भुगतान समय से नहीं कर पाता है। हमारे यहाँ आम के बगीचे हैं अब सीजन आ रहा है, उस पर स्प्रे करने के लिए काश्तकार को सब्सिडी मिल जाये तो यह काश्तकार के लिए सौभाग्य की बात होगी। ट्यूबवैल के बारे में कहना चाहता हूँ उस पर जो सरचार्ज लगता है, उस पर उत्तर प्रदेश में 50 से 70 परसेंट छूट दी जाती है।

मान्यवर, उत्तरांचल का नाम जो उत्तराखण्ड रखा जा रहा है अगर इस नाम को बदल कर प्रदेश की तरक्की होती है तो उसका नाम 6 बार बदला जाय। मान्यवर, नाम बदलने से प्रदेश की प्रगति नहीं होती। अगर इसमें राजनीतिक तथ्य हो तो इसका नाम बदलिये। हमारे देश में कई प्रदेशों के नाम बदले गये जैसे–मद्रास का नाम चेन्नई, कलकत्ता का कोलकाता और बम्बई का नाम मुम्बई रखा गया है, उसके पीछे ऐतिहासिक तथ्य थे। विपक्ष का कार्य यह नहीं होता है कि वह हर चीज में टाँग खींचे। अगर जहाँ प्रदेश अहित में कोई बात हो रही है, तो मैं उसका विरोध अवश्य करूँगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिन्द जय भारत।

*श्री नारायण सिंह जंतवाल–

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम के अभिभाषण पर चर्चा के लिए अवसर दिया गया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, जहाँ तक मैं समझता हूँ महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण किसी भी सरकार का सांकेतिक दस्तावेज, दर्पण होता है। मैं समझता हूँ कि नये राज्य की प्रथम विधान सभा में महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण निश्चित तौर से ऐतिहासिक महत्व का है। विराट जन आन्दोलन में इसकी गणना होती है। यह राज्य कोई सत्ता बदलने के लिए नहीं यह राज्य मंत्री बनने के लिए नहीं। राज्य की जनता की अपेक्षा है कि राज्य बनने के बाद हर क्षेत्र में बुनियादी परिवर्तन लाए जाएं, व्यवस्था में तब्दीली लाई जाए ताकि विकास हो सके। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में ऐसी अपेक्षा हम लोगों की थी पर मैं समझता हूँ हमारा मकसद तस्वीर नहीं तकदीर बदलने की होनी चाहिए। जब इसके प्रथम चरण की बात है प्रादुर्भाव होता है तो बड़ा भारी दायित्व होता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। आज इंग्लैंड के संसदीय इतिहास की चर्चा की गई। जो सदन के मुखिया हैं हिन्दुस्तान के अग्रणी राजनेता हैं और अपने कार्यों से संसदीय जनतंत्र को समृद्ध करने वाले रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि लक्ष्य बड़ा होना चाहिए निश्चित तौर पर वहाँ जो बुनियाद रखी जायेगी वह बुनियाद बहुत मजबूत होगी। माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में तमाम बातें हैं पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में जो बुनियादी जरूरतें हैं वह पूरी होनी चाहिएं। आज लोग भूमण्डलीकरण की बात कर रहे हैं दुनियाँ की अर्थव्यवस्था को एक करने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नैनीताल क्षेत्र की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में जो उत्पादन होता है उसको लेकर लोग रात में घोड़ों पर लादकर सामान ले जाते हैं लेकिन अब प्रदूषण के कारण घोड़ों के आवागमन पर भी रोक लगा दी गई है जिससे घोड़े पालने वालों पर रोजी–रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। मैं सदन के नेता जो सारी परिस्थितियों से भिज्ञ है इस पर अपनी टिप्पणी करें तो हमारा मार्गदर्शन होगा।

मान्यवर, मैं समझता हूँ कि उत्तराखण्ड का जो संशोधन हो सकता है वह मानव संशोधन हो सकता है और इसके लिए हमको शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। मान्यवर, शिक्षा के बारे में महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में काफी बातें कही गई हैं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से शिक्षा के साथ बहुत सी सरकारों ने केवल प्रयोग करने की बात की तो उससे शिक्षा जगत में बदलाव होने वाला नहीं है। शिक्षा में जितना ध्यान देना चाहिए वह ध्यान नहीं दिया जा रहा है और वहाँ जो मूलभूत सुविधा होनी चाहिए वह सुविधा का अभाव है। मान्यवर, चाहे शिक्षा मित्र की बात हो, चाहे शिक्षा बंधु की बात हो इन सबके लिए ठीक प्रकार से एक सुव्यवस्थित नीति बनाई जाये। मान्यवर, अगर आपको समाज को पहचानना है तो विश्वविद्यालय की स्थिति को देखना होगा। मैं यह कहना चाहूँगा कि शिक्षा के बारे में जो आधुनिक शिक्षा देने की बात कही गई है वह स्वागत योग्य कदम है।

अभी भाई निजामुद्दीन ने जनसंख्या की बात की थी तो मैं कहना चाहता हूँ कि यह सारे सवाल शिक्षा से जुड़े हैं। आज इस देश में जनसंख्या अधिक होने के बावजूद केरल जैसे स्टेट ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है उसका कारण सिर्फ शिक्षा है। दक्षिण के अन्य प्रांतों में भी शिक्षा में बढ़ोत्तरी हो रही है, लेकिन जो हमारे चार बीमार प्रदेश हैं वहाँ इसकी समस्या है।

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में 2 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही गयी है, यह स्वागत योग्य कदम है। मान्यवर, जिस क्षेत्र से मुझे सेवा करने का मौका मिला है उस क्षेत्र में एक–दो उद्योग ही आज अस्तित्व में हैं अगर उनका संरक्षण नहीं किया गया तो आने वाले समय में वह भी संकट के दौर में चले जायेंगे। मान्यवर, नई–नई नीतिया आयेंगी और वर्ड ट्रेड सेन्टर के साथ एग्रीमेन्ट होगा तो हमारे जो छोटे उद्योग हैं उन उद्योगों के संरक्षण की व्यवस्था की जायेगी, लेकिन आज ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि इस पर ध्यान दें। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि नैनीताल जैसे क्षेत्र में विकास की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था।

श्री अध्यक्ष–

कृपया संक्षेप करें।

श्री नारायण सिंह जंतवाल–

मान्यवर, यह कहा कि यह विकास की संस्था बनेगी, लेकिन आज यह विकास की एजेंसी बनने के बजाय एक रेगुलेटर अँथारिटी बनकर वहां तमाम किस्म की दिक्कतें कर रही हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि नैनीताल शहर के कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश में भी नैनीताल शहर को ए क्लास सिटी का दर्जा दिया गया था और पिछली सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने यह घोषणा की थी। मैं निवेदन करूँगा कि उसे ए क्लास सिटी का दर्जा दिया जाये और मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि मण्डलीय मुख्यालयों पर सरकार अपनी नीति स्पष्ट करे और यह कहा गया था कि जो मण्डलीय मुख्यालय हैं उनसे सम्बद्ध सारे कार्यालय मण्डलीय मुख्यालय पर रखे जायेंगे। लेकिन इस बीच में, चुनाव के बीच में भी कई कार्यालयों को स्थानान्तरित किया गया है और अंत में मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ जो कि स्वास्थ्य के सम्बन्ध में है। मान्यवर, एक जमाने में नैनीताल के गोविन्द बल्लभ पंत अस्पताल में दूर–दराज के लोग भी इलाज के लिए आते थे, लेकिन आज जहाँ हम स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं को गाँव–देहातों तक पहुँचाना चाहते हैं, वहीं इस अस्पताल की स्थिति इतनी जीर्ण–शीर्ण हो गई है कि छोटे से छोटे केस को भी लखनऊ के लिए रेफर कर दिया जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अध्यक्ष जी एवं सदन के तमाम सम्मानित सदस्यों का आभार प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के रूप में मुझे कुछ कहने के लिए मौका दिया गया इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे सम्मानित नेता सदन को जिनके बारे में मेरे साथी सरकार के सहयोगी अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। विकास पुरुष के नाम से जिनको जाना जाता है, ऐसा व्यक्ति आज इस सदन की शोभा बढ़ा रहा है। इन्होंने आज उत्तरांचल में ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश और भारत सरकार में शीर्ष पदों पर इस देश और प्रदेश की शोभा बढ़ाई है। मुझे विश्वास है कि विकास की सोच के धनी, नेता सदन नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में सरकार बहुँमुखी विकास करेगी। राज्यपाल के अभिभाषण में इस उत्तरांचल प्रदेश के पर्वतीय अंचल की विभिन्न भौगोलिक स्थितियाँ तराई भाबर और पहाड़ को लेकर योजनाओं की कल्पनाओं का, सरकार की कार्य करने का जो प्रश्न है और सरकार का कार्य भविष्य में किस तरह विकास के रूप में आगे बढ़ेगा यह अभिभाषण में दर्शाया गया है, यह एक सरकार के कार्य करने की प्रणाली का द्योतक है। मान्यवर, इस उत्तरांचल की विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप जो यहाँ की समस्याएँ हैं विशेषकर तराई क्षेत्र में किसानों की, भाबरी पर्वतीय क्षेत्र में किसानों की और यहाँ की भौगोलिक स्थिति के अनुरूप जो योजनाएँ यहाँ के विकास के अनुरूप करने का अभिभाषण में उल्लेख किया गया है वह उत्तरांचल के भविष्य का एक निर्णायक पहल है।

मान्यवर, आज ऐसी कई समस्याएं हमारे सामने हैं, जिनका निराकरण सरकार द्वारा होना है। किसानों की समस्या आज प्रमुख रूप से हमारे सामने हैं। मैं माननीय नेता

सदन के आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे उत्तरांचल में चम्पावत, टनकपुर से लेकर हल्द्वानी, कोटद्वार और देहरादून तक जो भावरी अंचल है, वहां पर जो नलकूप लगे हुए हैं, विगत 3 वर्षों से उनके रख–रखाव के सम्बन्ध में कोई नीति नहीं बन सकी है। जिसके कारण यहां के किसान सही ढंग से सिंचाई की समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। भावरी क्षेत्र में लगभग 6–7 सौ और नैनीताल तथा ऊधमसिंह नगर में लगभग 350 राजकीय नलकूप हैं, इनका रख–रखाव कौन करेगा, अभी तक यह तय नहीं हुआ है। उत्तरांचल में भावरी अंचल की भौगोलिक परिस्थितियां बहुत भिन्न हैं। यहां पर 250–300 फुट पर पानी है। कभी–कभी 600 फुट तक छिद्रण कार्य होता है। यहां पर जो मोटर और पम्प लगते हैं, वह बहुत अधिक अश्व शक्ति के होते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इनके रख–रखाव का उचित प्रबन्ध शीघ्र किया जाए ताकि वहां के किसानों को राहत मिल सके।

मान्यवर, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ यहां पर पिछले 3 वर्षों से अभी तक राजस्व भी वसूल नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में यदि यह राजस्व एक मुश्त वसूल किया जाएगा तो इससे किसानों पर बड़ा भारी बोझ पड़ेगा। मान्यवर, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि भावरी क्षेत्र में पानी की बहुत अधिक समस्या है। गौला नदी में पर्याप्त पानी नहीं है। इसी दृष्टिकोण से विश्व बैंक के सहयोग से नलकूप लगाने की एक योजना चलायी गयी थी। मेरा निवेदन है कि पूरे भावरी क्षेत्र में एक बार पुनः सर्वेक्षण करा कर अतिरिक्त नलकूप यहां पर लगाए जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में कमाण्ड एरिया 60 हेक्टेयर है। यहां पर भी कमाण्ड एरिया घटाकर नलकूप लगाए जा सकते हैं।

मान्यवर, क्योंकि जब हम हिमांचल प्रदेश की बात करते हैं, मेरा अनुरोध है कि हिमांचल प्रदेश की तरह यहाँ भी नलकूपों का कमाण्ड घटाकर 60 हेक्टेयर किया जाये। सरकार की ओर से अभिभाषण में सारे मुद्दों का उल्लेख किया गया है। पर्वतीय क्षेत्र में किस तरह नारी शक्ति, छात्र शक्ति, युवा शक्ति और शहीदों के प्रति क्या–क्या कार्य किये जायेंगे, इसका उल्लेख अभिभाषण में किया गया है। अभिभाषण नेता सदन के नेतृत्व में अथक प्रयासों के बाद बनाया गया है। निश्चित रूप से सरकार की मंशा है कि ऐसा स्ट्रक्चर इस प्रदेश में खड़ा किया जाये जो जनभावना के अनुरूप समग्र विकास का हो, उसके अनुरूप अभिभाषण तैयार किया गया है। औद्योगिक क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूँ कि गन्ना चीनी मिलों की स्थिति बहुत ही खराब है। मैं कुछ समय पहले किच्छा चीनी मिल में गया था तो मुझे बताया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार को 6 करोड़ रुपया चीनी मिल को देना है और मार्च के बाद किसानों के भुगतान में दिक्कत हो सकती है। मैं निवेदन करूँगा, केन्द्र सरकार से इस बारे में अनुरोध किया जाये। इसके साथ–साथ किसानों के जुड़े अन्य उद्योगों के बारे में अभिभाषण में जिक्र किया गया है। हमारे बीच में विकास पुरुष पं० नारायण दत्त तिवारी हैं जिनके पास विकास की अपार सम्भावनाओं की सोच है, इस सोच से जो हमारी मूलभूत समस्यायें हैं, चाहे पेयजल की हो, सिंचाई की हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र की हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र की हो, चाहे बेरोजगारों की हो उनका उल्लेख महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में किया गया है।

तकनीकी शिक्षा के बारे में जो सरकार की मंशा है कि इस पर्वतीय अंचल में इस तरह की शिक्षा कम्प्यूटर के साथ ही इलेक्ट्रानिक्स की हो और लघु उद्योग सम्बन्धी जो हमारी सरकार की मंशा है, उस दिशा में दिन–प्रतिदिन आगे बढ़ाया जायेगा। मैं एक

निवेदन नेता सदन के माध्यम से करना चाहता हूँ, पेयजल योजनाओं के बारे में। यह गम्भीर समस्या इस पर्वतीय अंचल की जनता के लिए है। मेरा सुझाव है कि पेयजल की बड़ी–बड़ी योजनाएं अधिक लाभकारी नहीं हैं, पेयजल के लिए छोटी–छोटी योजनाएं यदि बनाई जायें तो पर्वतीय अंचल भावर और तराई क्षेत्र में निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में अभिभाषण में उल्लेख किया गया है।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस उत्तरांचल में दमुवाढुंगा, बिंदूखत्ता खड़कपुर, बागजाला सुलतान नगरी सहित कई क्षेत्र ऐसे हैं, जहां लम्बी अवधि से हमारे भूमिहीन भाई रहते हैं, इनको भूमि का आवंटन होना है। मान्यवर, जो भूमिहीन कृषक हैं, उनकी समस्याओं का समाधान हमारी सरकार करेगी, इसके साथ ही साथ लम्बी अवधि से जो कृषक वहां पर निवास कर रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करेगी, चाहे वह शिक्षा, स्वास्थ्य, राशनकार्ड, सड़क बिजली आदि समस्याओं का निदान करेगी। मान्यवर, मैं एक बार पुनः महामहिम राज्यपाल को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने उत्तरांचल की सभी समस्याओं को छुआ है और नेता सदन पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने और उनके सहयोगियों ने गहन विचारमंथन करके इस उत्तरांचल की सभी मूलभूत समस्याओं के निदान के लिए जो अभिभाषण तैयार किया है, यह उत्तरांचल के भविष्य का फैसला करने में हमारी सरकार के कार्यक्रमों को जनता के सामने प्रस्तुत करने में सफल होगा।

*श्रीमती आशा नौटियाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर अपने विचार रखने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ घाटी की ओर आपका ध्यान इंगित करना चाहती हूँ। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कुछ बिन्दु छूट गये हैं, जिन्हें मैं अभिभाषण में शामिल कराने का कष्ट करूंगी। मान्यवर, सरकार ने आपदा प्रबंधन में कोई ठोस रणनीति नहीं बनायी है। केदारनाथ घाटी में वर्ष 1998 और 2000 में आये भूकम्प में कुछ लोग बेघर हो गये थे, खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इनके लिए कोई चर्चा नहीं की। मान्यवर, जनपद रुद्रप्रयाग में आयुर्वेदिक कालेज था, उसका कहीं जिक्र नहीं है। विद्यापीठ आयुर्वेदिक कालेज में, जहां फार्मेसी प्रशिक्षण चलता था, कई वर्षों से बंद पड़ा है। आप जहां भी जाइये इस विद्यालय से प्रशिक्षित फार्मिसिस्ट मिलेंगे। लेकिन महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में इसका जिक्र तक नहीं है।

मान्यवर, जड़ी–बूटी शोध संस्थान गोपेश्वर की मैं बात करती हूँ, हमारे उत्तरांचल खास तौर से केदारनाथ घाटी में जड़ी–बूटियों की अपार सम्भावना है। मधमेश्वर, तुंगनाथ तथा केदारनाथ में जड़ी–बूटियों की अपार सम्भावना है। गोपेश्वर में चल रहे जड़ी–बूटी शोध संस्थान को चालू किया जाय और पूरे उत्तरांचल में इसको लागू किया जाय, ताकि हमारे लोगों को रोजगार मिल सके।

मान्यवर, आपने अपने अभिभाषण में इस प्रकार की कई बातें नहीं कही, मैं चाहूँगी कि ऐसी बातों को अपने अभिभाषण में रखें। मान्यवर, आप पेयजल के संकट को दूर करने की बात करते हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि जनपद रुद्रप्रयाग के तल्ला नागपुर को आपने इस अभिभाषण में नहीं रखा है जबकि 30 हजार से ऊपर की जनसंख्या के लोग इस क्षेत्र में रहते हैं। आज भी वहाँ पेयजल की त्रासदी है। मैं चाहूँगी कि तल्ला नागपुर की पेयजल योजना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को अपने अभिभाषण में सम्मिलित करें। मान्यवर, नवसृजित राज्य है यहाँ महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा है, चाहे उत्तरांचल राज्य के गठन की बात हो, आपने अपने अभिभाषण में महिलाओं के रोजगार से जोड़ने के लिए कोई लक्ष्य नहीं रखा है। यहाँ महिलाओं के रोजगार की अनेक सम्भावनायें है, कृषि बागवानी, कुटीर उद्योग हैं, मैं चाहूँगी कि यह आपके अभिभाषण में शामिल हो। मान्यवर, बालिका शिक्षा के लिए भी आपके अभिभाषण में कोई बात नहीं आई है, कहीं भी हमारे यहाँ इन्टर कालेज, हाई स्कूल विद्यालय नहीं हैं। मेरा तहसील क्षेत्र केदारनाथ ऊखीमठ में कहीं भी इण्टर कालेज नहीं हैं, मैं चाहूँगी कि आपका ध्यान इस तरफ रहे। माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करना चाहूँगी आप इन जनपदों को जल्दी से जल्दी एकीकृत करने का कष्ट करेंगे, ताकि क्षेत्र के लोगों को दिक्कत न हो, इसको अपने अभिभाषण में जोड़ने का कष्ट करें। नई विधायक हूँ भूल-चूक हो गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहूँगी। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करती हूँ। जय उत्तरांचल, जय भारत।

श्री अध्यक्ष–

अभिभाषण पर चर्चा जारी रहेगी।

(कृपया सदस्यों के अभिभाषण पर संशोधन के लिए देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ संख्या 48–70 पर)

वित्तीय वर्ष 2001–2002 के अनुपूरक अनुदान की मागों पर चर्चा और मतदान– अनुदान सं0 06–राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान सं0 07–वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं, अनुदान सं0 10–पुलिस एवं जेल विभाग, अनुदान सं0 11–शिक्षा, खेल, युवा कल्याण एवं संस्कृति विभाग, अनुदान सं0 12–चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, अनुदान सं0 13–जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास विभाग, अनुदान सं0 15–कल्याण योजनायें विभाग, अनुदान सं0 17–कृषि कर्म एवं अनुसंधान विभाग, अनुदान सं0 19–ग्राम्य विकास विभाग, अनुदान सं0 20–सिंचाई एवं बाढ़ विभाग, अनुदान सं0 22–लोक निर्माण कार्य विभाग, अनुदान सं0 23–उद्योग विभाग, अनुदान सं0 27–वन विभाग, अनुदान सं0 28–पशु पालन सम्बन्धी कार्य विभाग

औद्योगिक राज्यमंत्री (श्री किशोर उपाध्याय)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 06–राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत रु0 238713 हजार (तेइस करोड़ सत्तासी लाख तेरह हजार रुपये) की द्वितीय अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 06–राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत रु0 238713 हजार (तेइस करोड़ सत्तासी लाख तेरह हजार रुपये) की द्वितीय अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

*श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 07–वित्त, कर नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें के अन्तर्गत रु0 3242 हजार (बत्तीस लाख बयालीस हजार रुपये) की द्वितीय अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 07–वित्त, कर नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें के अन्तर्गत रु0 3242 हजार (बत्तीस लाख बयालीस हजार रुपये) की द्वितीय अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 10–पुलिस एवं जेल विभाग के अन्तर्गत रु0 97046 हजार (नौ करोड़ सत्तर लाख छियालीस हजार रुपये) की द्वितीय अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 10–पुलिस एवं जेल विभाग के अन्तर्गत रु0 97046 हजार (नौ करोड़ सत्तर लाख छियालीस हजार रुपये) की द्वितीय अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

*शिक्षा मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 11–शिक्षा, खेल, युवा कल्याण एवं संस्कृति विभाग के अन्तर्गत रु0 675138 हजार (सड़सठ करोड़ इक्यावन लाख अड़तीस हजार रुपये) की द्वितीय अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 11–शिक्षा, खेल, युवा कल्याण एवं संस्कृति विभाग के अन्तर्गत रु0 675138 हजार (सड़सठ करोड़ इक्यावन लाख अड़तीस हजार रुपये) की द्वितीय अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 12–चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत रु0 7683 हजार (छियत्तर लाख तिरासी हजार रुपये) की द्वितीय अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 12–चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत रु0 7683 हजार (छियत्तर लाख तिरासी हजार रुपये) की द्वितीय अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 13–जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत रु0 100000 हजार (दस करोड़ रुपये) की द्वितीय अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 13–जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत रु0 100000 हजार (दस करोड़ रुपये) की द्वितीय अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

*समाज कल्याण मंत्री (श्री राम प्रसाद टम्टा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 15–कल्याण योजनाएं विभाग के अन्तर्गत रु0 17432 हजार (एक करोड़ चौहत्तर लाख बत्तीस हजार रुपये) की द्वितीय अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 15–कल्याण योजनाएं विभाग के अन्तर्गत रु0 17432 हजार (एक करोड़ चौहत्तर लाख बत्तीस हजार रुपये) की द्वितीय अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

कृषि मंत्री (श्री महेन्द्र सिंह माहरा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 17–कृषि कर्म एवं अनुसंधान विभाग के अन्तर्गत रु0 50079 हजार (पाँच करोड़ उन्यासी हजार रुपये) की द्वितीय अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 17–कृषि कर्म एवं अनुसंधान विभाग के अन्तर्गत रु0 50079 हजार (पाँच करोड़ उन्यासी हजार रुपये) की द्वितीय अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

*पेयजल मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 19–ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत रु0 3400 हजार (चौंतीस लाख रुपये) की द्वितीय अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 19–ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत रु0 3400 हजार (चौंतीस लाख रुपये) की द्वितीय अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

*सिंचाई मंत्री (श्री शूरवीर सिंह सजवाण)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 20–सिंचाई एवं बाढ़ विभाग के अन्तर्गत रु0 2000 (दो हजार रुपये) की द्वितीय अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 20–सिंचाई एवं बाढ़ विभाग के अन्तर्गत रु0 2000 (दो हजार रुपये) की द्वितीय अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 22–लोक निर्माण कार्य विभाग के अन्तर्गत रु0 146746 हजार (चौदह करोड़ सड़सठ लाख छियालीस हजार रुपये) की द्वितीय अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 22–लोक निर्माण कार्य विभाग के अन्तर्गत रु0 146746 हजार (चौदह करोड़ सड़सठ लाख छियालीस हजार रुपये) की द्वितीय अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*उद्योग मंत्री (श्री गोविंद सिंह कुंजवाल)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 23–उद्योग विभाग के अन्तर्गत रु0 4000 (चार हजार रुपये) की द्वितीय अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 23–उद्योग विभाग के अन्तर्गत रु0 4000 (चार हजार रुपये) की द्वितीय अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 27–वन विभाग के अन्तर्गत रु0 2300 हजार (तेइस लाख रुपये) की द्वितीय अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 27–वन विभाग के अन्तर्गत रु0 2300 हजार (तेइस लाख रुपये) की द्वितीय अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

सहकारिता एवं पशुपालन मंत्री (श्री मंत्री प्रसाद नैथानी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपा की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 28–पशुपालन सम्बन्धी कार्य विभाग के अन्तर्गत रु0 1600 हजार (सोलह लाख रुपये) की द्वितीय अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 28–पशुपालन सम्बन्धी कार्य विभाग के अन्तर्गत रु0 1600 हजार (सोलह लाख रुपये) की द्वितीय अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तरांचल विनियोग (2001–2002 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2002

मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल विनियोग (2001–2002 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल विनियोग (2001–2002 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल विनियोग (2001–2002 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तरांचल विनियोग (2001–2002 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2002 पर विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल विनियोग (2001–2002 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2002 पर विचार किया जाए)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

*नेता प्रतिपक्ष (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, माननीय नेता सदन यदि इस पर अपना कुछ प्रकाश डाल दें तो अच्छा रहेगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, यह जो अनुदान पारित किए गए हैं यह उनका एक संकलन है। माननीय नेता विरोधी दल जानते हैं कि संविधान में यह बाध्यता है कि जो ग्रान्ट हम पास करें, वह फिर एक विधेयक के रूप में खर्च करने की शक्ति शासन को मिले, इसलिए यह विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाता है और इससे माननीय नेता विरोधी दल भी परिचित हैं। पिछले वर्ष के अनुदानों को हमने स्वीकार कर लिया है, इसलिए इस विनियोग विधेयक को भी हम सर्वसम्मति से स्वीकार करने का कष्ट करें।

खण्ड 2 से खण्ड 3 अनुसूची, खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तरांचल विनियोग (2001–2002 का अनुपूरक) विधेयक, 2002

31 मार्च, 2002 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिए –

विधेयक

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1. यह अधिनियम उत्तरांचल विनियोग (2001–2002 का अनुपूरक) अधिनियम, 2002 कहलायेगा।

उत्तरांचल की समेकित निधि में से वर्ष 2001–2002 के लिए रु0 134,33,85,000 का दिया जाना

2. ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिए जो 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ–2 में दी गई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तरांचल की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग रु0 134,33,85,000 (एक सौ चौंतीस करोड़ तैंतीस लाख पच्चासी हजार मात्र) होता है, अधिक न हो।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

3. इस अधिनियम द्वारा उत्तरांचल की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुए हैं। विनियोग

अनुपूरक आय–व्ययक 2001–2002

(धनराशि हजार रु0 में)

अनुदान संख्या/विभाग का नाम		अनुपूरक आय–व्ययक 2001–2002		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1 2		3		
06. राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	राजस्व	0	213713	213713
	पूंजी	25000	0	25000
07. वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें	राजस्व	3242	0	3242
10. पुलिस एवं जेल	राजस्व	0	97046	97046
11. शिक्षा, खेल, युवा कल्याण एवं संस्कृति	राजस्व	197721	477417	675138
12. चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	राजस्व	0	7683	7683
13. जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	राजस्व	100000	0	100000
15. कल्याण योजनाएं	राजस्व	17335	97	17432
17. कृषि कर्म एवं अनुसंधान	राजस्व	2123	0	2123
	पूंजी	41456	6500	47956
19. ग्राम्य विकास	राजस्व	0	3400	3400
20. सिंचाई एवं बाढ़	राजस्व	2	0	2
22. लोक निर्माण कार्य	राजस्व	15832	130914	146746
23. उद्योग	राजस्व	3	0	3
	पूंजी	1	0	1
27. वन	राजस्व	2300	0	2300
28. पशुपालन संबंधी कार्य	राजस्व	1600	0	1600
योग	राजस्व	340158	930270	1270428
	पूंजी	66457	6500	72957
अनुपूरक की कुल धनराशि				1343385

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 3 अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएँ।

(प्रश्न उपस्थित हुआ और सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया)

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल विनियोग (2001–2002 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2002 पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल विनियोग (2001–2002 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2002 पारित किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2002

श्री अध्यक्ष–

मुख्यमंत्री जी प्रस्ताव लाना चाहें।

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल, 2002 से 30 जून, 2002 में उत्तरांचल सरकार के व्यय के लिए लेखानुदान का विवरण जो 19 मार्च, 2002 को सदन में प्रस्तुत किया गया है के पृष्ठ 1 एवं 2 में दिये हुए प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिए राज्यपाल महोदय को इस लेखानुदान द्वारा अनुदान संख्या 1 से 28 तक मतदेय धनराशि पेशगी दी जाय जो रु0 10410675000 (दस अरब इकतालीस करोड़ छः लाख पचहत्तर हजार रुपये) से अधिक न हो।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल, 2002 से 30 जून, 2002 में उत्तरांचल सरकार के व्यय के लिए लेखानुदान का विवरण जो 19 मार्च, 2002 को सदन में प्रस्तुत किया गया है के पृष्ठ 1 एवं 2 में दिये हुए प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिए राज्यपाल महोदय को इस लेखानुदान द्वारा अनुदान संख्या 1 से 28 तक मतदेय धनराशि पेशगी दी जाय जो रु0 10410675000 (दस अरब इकतालीस करोड़ छः लाख पचहत्तर हजार रुपये) से अधिक न हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तरांचल विनियोग (लेखा अनुदान) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल विनियोग (लेखा अनुदान) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तरांचल विनियोग (लेखा अनुदान) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तरांचल विनियोग (लेखा अनुदान) विधेयक, 2002 पर विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल विनियोग (लेखा अनुदान) विधेयक, 2002 पर विचार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–3, अनुसूची, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2002

31 मार्च, 2003 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिए –

विधेयक

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1. यह अधिनियम उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2002 कहलायेगा। *संक्षिप्त नाम*

2. ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिए जो 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ–2 में दी गई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तरांचल की समेकित निधि में से इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ–7 एवं 9 में दी हुई धनराशियों से, जिन सब का कुल योग उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2002 (उत्तरांचल अधिनियम संख्या– सन् 2002) की अनुसूची के स्तम्भ–8 एवं 10 में निर्दिष्ट धनराशियों को सम्मिलित करके) रु० 1351,89,75,000 (एक हजार तीन सौ इक्यावन करोड़, नवासी लाख, पचहत्तर हजार रुपये मात्र) होता है, अधिक न हो। *उत्तरांचल की समेकित निधि में से वर्ष 2002–2003 के लिए रु० 1351,89,75,000 का दिया जाना*

3. इस अधिनियम द्वारा उत्तरांचल की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुए हैं। *विनियोग*

31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये ऐसे व्यय का अनुमान जिसके लिये लेखानुदान की आवश्यकता है

(हजार रुपयों में)

अनुदान क्रम–संख्या तथा उसका विवरण	कुल मांग राजस्व मतदेय	कुल मांग राजस्व भारित	कुल मांग पूंजी मतदेय	कुल मांग पूंजी भारित	1 अप्रैल से 30 जून, 2002 हेतु आवश्यक धनराशि राजस्व मतदेय	राजस्व भारित	पूंजी मतदेय	पूंजी भारित
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10
01–विधान सभा	54720	5252	0	0	13680	1313	0	0
02 राज्यपाल	0	27476	0	0	0	6869	0	0
03–मंत्रिपरिषद्	40708	0	0	0	10177	0	0	0
04–न्याय प्रशासन	237876	99868	150000	0	59469	24967	37500	0
05–निर्वाचन	78596	0	0	0	19649	0	0	0
06–राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	1280152	84	116000	0	320038	21	29000	0
07–वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें	5136760	6119908	576504	6166892	1284190	1529977	144126	1541723
08–आबकारी	27776	0	10000	0	6944	0	2500	0
09–लोक सेवा आयोग	15724	0	10000	0	3931	0	2500	0
10–पुलिस एवं जेल	1942244	12	100004	0	485561	3	25001	0
11–शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	9566492	20	250328	0	2391623	5	62582	0
12–चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	2008412	0	365332	0	502103	0	91333	0
13–जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	2251404	0	125000	0	562851	0	31250	0
14–सूचना	93920	0	0	0	23480	0	0	0
15–कल्याण योजनायें	1556528	0	139532	0	389132	0	34883	0
16–श्रम और रोजगार	235912	0	0	0	58978	0	0	0
17–कृषि कर्म एवं अनुसंधान	2336928	2016	24748	0	584232	504	6187	0

31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये ऐसे व्यय का अनुमान जिसके लिये लेखानुदान की आवश्यकता है

(हजार रुपयों में)

अनुदान क्रम-संख्या तथा उसका विवरण		कुल मांग				1 अप्रैल से 30 जून, 2002 हेतु आवश्यक धनराशि			
		राजस्व		पूंजी		राजस्व		पूंजी	
		मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18—सहकारिता		97608	0	88664	0	24402	0	22166	0
19—ग्राम्य विकास		1571852	0	76672	0	392963	0	19168	0
20—सिंचाई एवं बाढ़		1552092	0	339684	0	388023	0	84921	0
21—ऊर्जा		1591756	0	790004	0	397939	0	197501	0
22—लोक निर्माण कार्य		1538388	10408	2158628	0	384597	2602	539657	0
23—उद्योग		206224	0	42520	0	51556	0	10630	0
24—परिवहन		38208	0	101168	0	9552	0	25292	0
25—खाद्य		115928	0	1016	0	28982	0	254	0
26—पर्यटन		123132	0	45684	0	30783	0	11421	0
27—वन		1989632	1200	3512	0	497408	300	878	0
28—पशुपालन सम्बन्धी कार्य		424516	64	14212	0	106129	16	3553	0
योग :		36113488	6266308	5529212	6166892	9028372	1566577	1382303	1541723
राजस्व/पूंजी का कुल योग :		42379796		11696104		10594949		2924026	
महायोग (कुल मांग एवं आवश्यक मांग) :		54075900				13518975			

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3, अनुसूची, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2002 पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2002 को पारित किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 51 के अन्तर्गत 5 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। एक सूचना काजी निजामुद्दीन जी की है जो हरिद्वार के रुड़की, मंगलौर आदि स्थानों पर घोड़ा, रिक्शा, ताँगा आदि के स्थान पर निजी एवं सरकारी वाहन चलाये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री हरभजन सिंह चीमा जी की है, जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को कुटीर ज्योति योजना के अन्तर्गत एक बल्ब निःशुल्क करने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री मातबर सिंह कण्डारी जी की है जो अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल, विकास खण्ड जलोटी के कृषकों की भूमि के कटान–दबान के प्रतिकर के भुगतान के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री प्रकाश पंत जी की है, जो पिथौरागढ़ जनपद में जनसंख्या दबाव बढ़ने से सीवर लाईन के निर्माण के सम्बन्ध में है। पाँचवी सूचना श्री महेन्द्र भट्ट जी की है जो उत्तरांचल जनपद चमोली में ग्रीष्म ऋतु आते ही पेयजल संकट से जनता के जनाक्रोश की स्थिति के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुई हैं।

मैं श्री हरभजन सिंह चीमा जी की सूचना को वक्तव्य के लिए स्वीकृत करता हूँ, शेष सूचनाएं अस्वीकृत की जाती हैं।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, नियमावली में उल्लेख है कि नियम 51 के अन्तर्गत एक सूचना वक्तव्य के लिए स्वीकृत होती है, और दो सूचनाएं केवल वक्तव्य के लिए स्वीकृत होती हैं। मान्यवर, यही परम्परा भी है।

संसदीय कार्य मंत्री [डॉ0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश]–

मान्यवर, यह अध्यक्ष के विवेक पर निर्भर करता है कि वह किस सूचना को वक्तव्य अथवा केवल वक्तव्य के लिए स्वीकृत करें या किसे अस्वीकृत कर दें।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं कल दिनांक 21–03–2002 को पूर्वान्ह 11.00 बजे तक के लिए।

(इसके बाद सदन 4 बजकर 20 मिनट पर बृहस्पतिवार 21 मार्च, 2002/अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)।

देहरादून :

दिनांक : 20 मार्च, 2002

महेश चन्द्र,
सचिव, विधान सभा,
उत्तरांचल।

नत्थी "क"

(श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन पीछे पृष्ठ 35 पर)

[क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
1.	श्री भगत सिंह कोश्यारी, श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, श्री गोविन्द लाल, श्री मदन कौशिक, श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री मालचन्द, श्री सुरेश चन्द्र, श्री प्रकाश पन्त, श्री मातबर सिंह कण्डारी, श्रीमती विजया बड़थ्वाल, श्री महेन्द्र भट्ट, श्री अनिल नौटियाल, श्रीमती आशा नौटियाल, श्री अरविन्द पाण्डे, श्री हरबंस कपूर, श्री अजय भट्ट। (उपस्थित किया जा चुका है)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न का उल्लेख नहीं किया" :- 1. राज्य की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था में सुधार लाने हेतु किसी विशेष प्रभावी उपाय की घोषणा किये जाने। 2. आर्थिक व्यवस्था में सुधार लाने हेतु किसी प्रभावी योजना की घोषणा किये जाने। 3. राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों, विभिन्न निगमों के कर्मचारियों तथा राज्य में सेवारत सरकारी तथा गैर सरकारी कर्मचारियों का पंचम वेतन आयोग की संस्तुति के अनुसार केन्द्र के समान वेतन दिये जाने और एल0टी0सी0 नगदीकरण इत्यादि सुविधायें प्रदान किये जाने। 4. राज्य को ऊर्जा प्रदेश बनाने हेतु पूर्व में घोषित योजनाओं के क्रियान्वयन तथा प्रभावी नीति बनाने। 5. उद्योग, पर्यटन, रोजगार, शिक्षा के क्षेत्र में पूर्व में घोषित परियोजनाओं के क्रियान्वयन करने। 6. राजस्व पुलिस की सेवा शर्तों में सुधार करने तथा उन्हें अधिक सुविधा व अधिकार देकर दूरस्थ ग्रामीण अंचल में कानून व्यवस्था ठीक करने। 7. प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में माननीय विधायकों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 50 कि0मी0 नवीन मोटर मार्ग निर्माण, 20 कि0मी0 डामरीकरण, 5 झूलापुल, 5 नवीन इण्टरमीडिएट, 5 नवीन हाई स्कूल, 5 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार दिये जाने। 8. राज्य में चिकित्सा व्यवस्था सुधार हेतु पृथक चिकित्सा नीति बनाये जाने।

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		9. स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत फार्मासिस्टों की लम्बे समय से चली आ रही समस्याओं के निराकरण किये जाने।
		10. प्रदेश में प्रशिक्षित फार्मासिस्टों, बी0एड0, बी0पी0एड0, सी0पी0एड0, डिप्लोमा इन्जिनियरों तथा अन्य प्रशिक्षित तथा उच्च शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों को सेवायोजन हेतु प्रभावी कदम उठाने।
		11. प्रदेश के समस्त बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने।
		12. प्रदेश की सभी बन्द पड़ी फैक्ट्री तथा जनपद पिथौरागढ़ की चंढाक मैग्नासाइट व राड़ी गांव (पिथौरागढ़) मैग्नासाइट फैक्ट्री काशीपुर की सूत कताई मिल सरस्वती ऊलन मिल रानीखेत (अल्मोड़ा) इत्यादि को पुनः संचालित किये जाने हेतु प्रभावी योजना बनाये जाने।
		13. साधन समिति सचिव, संग्रह अमीनों तथा वर्षों से विभिन्न यथा–लो0नि0वि0, राज्य सम्पत्ति अधिकारी कार्यालय, वन विभाग तथा निगमों में कार्यरत दैनिक व संविदा आधारित कर्मचारियों को नियमित करने तथा उन्हें राज्य कर्मचारियों घोषित करने।
		14. नवसृजित 13 महाविद्यालयों में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता तथा अन्य शिक्षणोत्तर सामग्री उपलब्ध कराने।
		15. प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में प्रधानाचार्यों, प्रवक्ता, अध्यापकों के रिक्त पड़े पदों को भरे जाने।
		16. सभी न्याय पंचायत केन्द्रों में मिनी खेल स्टेडियम तथा जिला मुख्यालयों में आधुनिक रूप से सुसज्जित खेल स्टेडियमों की स्थापना करने।
		17. प्रदेश में स्थापित हवाई पट्टियों को सुदृढ़ करने तथा वायुसेवा प्रारम्भ करने।
		18. आपदा प्रबन्धन विभाग को सुव्यवस्थित कर दैवीय आपदाओं से निपटने हेतु विशेष कार्ययोजना बनाये जाने।

क्र०सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		19. महिला सशक्तिकरण हेतु विशेष कार्य योजना।
		20. वार्षिक योजना 1500 करोड़ करने के सम्बन्ध में।
		21. व्यय कम करने हेतु मंत्रिमण्डल के आकार को घटाने।
		22. विकल्पधारी कर्मचारियों को नियत अवधि में कार्यमुक्त करने।
		23. प्रत्येक विकासखण्ड में उच्चतर मा०वि० एवं कन्या इण्टर कालेज बनाने।
		24. हरिद्वार कोटद्वार रामनगर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने।
		25. टिहरी बांध विस्थापितों के लिए पिछली सरकार द्वारा केन्द्र से प्राप्त भूमि को तुरन्त विकसित कर विस्थापितों का पुनर्वास के सम्बन्ध में।
		26. उत्तर प्रदेश सरकार से गंगा मैनेजमेन्ट केन्द्र की जगह उभय पक्षी बोर्ड बनाने।
		27. ड्रिलिंग द्वारा प्रत्येक जनपद में 500 हैण्डपम्प लगाने।
		28. शिक्षा बन्धु, शिक्षा मित्र व विजिटिंग फैकल्टी के अध्यापकों को नियमित करने।
		29. ऊधमसिंह नगर व हरिद्वार में नये अनाज भण्डार गृह खोलने के सम्बन्ध में।
		30. चीनी मिलों को आत्म निर्भर बनाने के लिए को-जेनेरेशन योजना शुरू करने।
		31. पर्यटन विकास के लिए कोटद्वार, पौड़ी, दूधातोली-पिंडर तथा रानीखेत, नैनीताल, मानीला, कौसानी, ग्वालदम, चौकड़ी-पाताल भुवनेश्वर, मुनस्यारी, पिथौरागढ़, पूर्णागिरी परिपथ विकसित करने।
		32. गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन देने।
		33. होम-गार्ड के वेतन में प्रतिदिन 50/- रु० की वृद्धि करने के सम्बन्ध में।

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
2.	श्री काशी सिंह ऐरी (उपस्थित किया जा चुका है)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-

"किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न का उल्लेख नहीं किया है" :-

1. स्थायी राजधानी का चयन एवं उसका निर्माण।
2. उत्तर प्रदेश के विकल्पधारी कर्मचारी एवं शिक्षकों को अविलम्ब कार्यमुक्त कर उत्तर प्रदेश भेजे जाने तथा उनकी जगह पर शिक्षित-प्रशिक्षित बेरोजगारों को नियुक्त किये जाने।
3. प्रदेश की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक संरचना अक्षुण रखने एवं राष्ट्रीय सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए संविधान के अनुच्छेद-371 के अन्तर्गत विशेष प्राविधान किये जाने के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की संस्तुति।
4. उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान रामपुर तिराहा (मु0नगर) कांड के दोषी अधिकारियों को दंडित किये जाने के सम्बन्ध में।
5. उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के शहीदों के परिजनों को विशेष सहायता व सम्मान दिये जाने।
6. उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के सभी मुकदमों को वापस लिये जाने।
7. उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के घायलों/पीड़ितों व प्रमुख आन्दोलनकारियों को विशेष मुआवजा व सम्मान दिये जाने।
8. उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के शहीदों एवं राज्य आन्दोलन के सर्वमान्य नेता स्व0 इन्द्रमणि बडोनी की प्रतिमायें स्थापित करने।
9. शहीद सैनिकों/अर्द्धसैनिकों के परिजनों को राज्य स्तर पर नौकरी एवं अन्य रोजगार/सुविधायें दिये जाने।
10. सेना में भर्ती के लिए वर्तमान में छः सीमान्त तहसीलों में लागू कक्षा 8 पास की अर्हता सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में अथवा कम से कम सीमान्त के तीनों जनपदों में लागू किये जाने।

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		11. प्रदेश के विभिन्न शासकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों एवं विद्यालय में कार्यरत शिक्षा बन्धु, शिक्षा मित्र विजिटिंग फैकल्टी, अंशकालिक, दैनिक एवं नियमित वेतनमान अस्थायी शिक्षकों को तदर्थ/नियमित नियुक्ति प्रदान किये जाने।
		12. प्रदेश के विभिन्न विभागों में दैनिक वेतन, नियत वेतन एवं तदर्थ रूप से नियुक्त सभी कर्मचारियों को नियमित किये जाने।
		13. फलोत्पादक बीमा योजना।
		14. बिन्दुखत्ता, दमुवाढुंगा, बग्धाचौवन, उत्तरकाशी जनपद के धरासू बैण्ड सहित सभी वन भूमि पर बसे गांवों को राजस्व गांव घोषित करने।
		15. प्रदेश के दूरस्थ स्थानों में प्राथमिक उपस्वास्थ्य केन्द्र (एस0ए0डी0) पर्याप्त संख्या में खोले जाने।
		16. जनपद पिथौरागढ़ की धारचूला एवं मुनस्यारी तहसीलों, टिहरी जनपद एवं उत्तरकाशी जनपद के रवाई एवं जौनपुर क्षेत्रों को जनजातीय क्षेत्र घोषित किये जाने।
3.	श्री मातबर सिंह कण्डारी (उपस्थित किया जा चुका है)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित को सम्मिलित नहीं किया है" :–
		1. बड़गर्सू पश्चिमी भरदार, रानीगढ़ धनपुर तथा तल्ला नागपुर के लिए रुद्रप्रयाग में अलग विकासखण्ड खोलना।
		2. जनपद रुद्रप्रयाग में इंजिनियरिंग कालेज खोलना।
		3. जनपद रुद्रप्रयाग में माल्टा का जूस निकालने का कारखाना लगाना।
		4. जखोली में पूर्ण तहसील बनाना।
		5. उत्तरांचल में मद्य निषेध लागू करना।
		6. उत्तरांचल में फल पट्टी योजना को बनाना।

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		7. भारतीय वन संरक्षण अधिनियम को विकास कार्यों के लिए लचीला बनाना।
		8. चिरबटिया में राजकीय आलू फार्म खोलना।
		9. उत्तरांचल के आर्थिक विकास हेतु व्यवसायिक खेती, बेमौसमी सब्जी उत्पादन फल पट्टी योजना, मत्स्य पालन योजनाओं पर बल देना।
		10. बेरोजगारी को दूर करने हेतु रोजगारपरक योजनाओं को चलाना।
		11. महिला कल्याण कार्यक्रम पर बल देना।
		12. उत्तरांचल में बन्द पड़ी योजनाओं पर पुनर्निर्माण शुरू कराना।
		13. बेसिक पाठशाला से लेकर महाविद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों पर भर्ती करना।
		14. लिफ्ट सिंचाई योजना धारकोट तल्ला नागपुर का निर्माण कार्य पूर्ण कराना।
		15. लिफ्ट पेयजल योजना जवाडी कांडा क्वीलाखाल भरदार, भैंसगांव, तल्लानागपुर नगलासूँ (रानीगढ) का निर्माण कराना।
		16. सतनी (सौराखाल) भरदार, बुडोली (सिलगढ) आरस्यूँ बछरगस्यूँ ढौडिक तल्ला नागपुर में जनता को पेयजल की सुविधा देना।
		17. खाकरा कान्डई खेड़ाखाल मोटर मार्ग नगरासू जसोली डांडा मोटर मार्ग, मयाली रणधार मोटर मार्ग, तिलवाड़। सौराखाल मोटर मार्ग का डामरीकरण कराना।
		18. लस्यूँ नदी में मठियाणा (सिलगढ) अलकनन्दा नदी में पपजसूँ मन्दाकनी नदी में अगस्त्य मुनि तथा घुयेली नामक स्थानों में झूलापुल निर्माण करने।
		19. तुनेटा भरदार में चीड़ की पत्तियों पर आधारित कोयला तथा गत्ता उद्योग लगाना।
		20. तिलवाडा जल विद्युत परियोजना विकासखण्ड जखोली, रुद्रप्रयाग जो वर्षों से बन्द पड़ी है उसे चालू करने।

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		21. जनपद रुद्रप्रयाग में अधिशासी अधिकारी विद्युत वितरण खण्ड के स्वीकृत पद पर नियुक्त कराने।
		22. जनपद रुद्रप्रयाग में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा, उप वन संरक्षक जिला उद्यान अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी के पदों का सृजन कराने।
		23. विकासखण्ड जखोली, रुद्रप्रयाग के भवन निर्माण हेतु धन उपलब्ध कराने।
		24. पट्टी बछरगर्स्यूं जसोली कोदिमा (लदोली) रानीगढ़ पूर्वी बांगढ़, खलियान बांगड़ बडमा सिलगढ़ लस्या (रुद्रप्रयाग) में चाय की खेती शुरू करने।
		25. ल्यूखर चिरबटिया (लस्या) खलियान बांगर पूर्वी बांगर बछरगर्स्यूं (सिलापाखा) धनपुर (पावौं मुनका) कोदिमा जसोली (रानीगढ़) में जड़ी बूटियों की नरसरी तथा जड़ी बूटियों का कृषि करण करने।
		26. तुनेटा भरदार तथा धंगासू बांगर रुद्रप्रयाग में मछलीपालन केन्द्र खोलना तथा हैचरी का निर्माण करने।
		27. गहड़खाल (बछरगर्स्यूं) खेड़ीखाल (धनपुर) हेडतीखाल तल्ला नागपुर तुनेटा (भरदार) जसोली रानीगढ़ में ऐलोपैथिक अस्पताल खोलने।
		28. अमकोटी–ल्यूखर लस्या किमारगा फुटगढ़ कुड़ी अपूली (फुटगढ़) चौरिया भरदा, डौखाल (तौठिया) में आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने।
		29. रा0उ0मा0वि0 पांजणा (सिलगढ) रुद्रप्रयाग, रा0उ0मा0वि0 ल्यूखर लस्या, रा0उ0मा0वि0 चौरिया भरदार, रा0उ0मा0वि0 जयंती कौठियाडा लस्या, रा0उ0मा0वि0 बरसूडी बछणस्यूं, रा0उ0मा0वि0 ठैंठी बछणस्यूं, रा0उ0मा0वि0 पीडा धनपुर रुद्रप्रयाग का उच्चीकरण करने।
		30. जू0हा0 लौंगा लस्या, जू0हा0 कोटी लस्या, जू0हा0 बरसिर लस्या, जू0हा0 पौडीखाल बछणस्यूं,

क्र०सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		जू०हा० हडेटीखाल तल्ला नागपुर, जू०हा० बीना (रानीगढ़), जू०हा० तुन्ना घनपुर, जू०हा० कमेडा तल्ला नागपुर का उच्चीकरण करने। 31. तिलवाडा रुद्रप्रयाग में महिला चिकित्सालय खोलने। 32. नगरासू, रतूड़ा तिलणी (सुमेरपुर) में राजकीय कृषि फार्म खोलने। 33. भटवाडी सैण तल्ला नागपुर में स्वीकृत उद्योग केन्द्र को विकसित करने। 34. घोलतीर (रानीगढ़) सिद्धसौड़ (बद्मा), चौरिया भरदार, किमाना फुटगढ़ में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा खोलने। 35. सुदूर पिछडे क्षेत्र रतूडा खेडीखाल मुनका रुद्रप्रयाग चिनग्वाड़ पार्वों सेरा बाँसी, जवाडी भरदार मोटर मार्गों का निर्माण करना।
4.	श्री बिशन सिंह चुफाल (उपस्थित किया जा चुका है)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण में निम्न का उल्लेख नहीं किया है" :– 1. पिथौरागढ़ में बेरीनाग पुरानाथल तथा डीडीहाट आदिचौरा तथा नाचनी बांसवाड़ा मोटर मार्ग डामरीकरण के सम्बन्ध में। 2. पिथौरागढ़ में गुजगढ़ नदी में सिरमाली के पास तथा नामिक नदी में झूला पुल के सम्बन्ध में। 3. पिथौरागढ़ राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुरानाथल तथा जूनियर हाई स्कूल होकरा के उच्चीकरण के सम्बन्ध में। 4. पिथौरागढ़ थल में महाविद्यालय खोलने। 5. पिथौरागढ़ में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भट्टी गांव तथा राजकीय कन्या इण्टर कालेज डीडीहाट के भवन के सम्बन्ध में। 6. पिथौरागढ़ में पर्यटक स्थल सिराकोट के सौन्दर्यकरण के सम्बन्ध में। 7. पिथौरागढ़ में उडियारी तथा चौसला–लेक पेयजल के सम्बन्ध में।

क्र०सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		8. सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में सामुदायिक पॉलिटेक्निक के सम्बन्ध में।
		9. पिथौरागढ़ में हवाई पट्टी के विस्तार के सम्बन्ध में।
		10. पिथौरागढ़ में पुराना थलताडी गांव मोटर मार्ग में राम गंगा नदी में मोटर पुल के सम्बन्ध में।
		11. पिथौरागढ़ डीडीहाट में मिनी स्टेडियम के सम्बन्ध में।
		12. पिथौरागढ़ में सगौड़ से बौगाड़ तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में।
		13. जनपद पिथौरागढ़ में निम्न मोटर मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में – –रई–मढ़–रोडीपाली मोटर मार्ग; –सुवालेख–चण्डिकाघाट–रैसपसरा मोटर मार्ग; –छेड़ा कुम्याचौड–सुवालेख मोटर मार्ग; –चण्डाक–थ्यूपानी–डुंगरा मोटर मार्ग निर्माण; –मोस्टमानू–छाना–भुरमुनी मोटर मार्ग; –नैनी–सैनी–कुम्डार मोटर मार्ग; –दिग्तोली–नैनी–दूयूडी मोटर मार्ग; –बडंडा–लेलू मोटर मार्ग; –चुपकोट बैंड–जमराडी–निसनी मोटर मार्ग; –हरकान्डे–सल्ला मोटर मार्ग; –जाख रावल गांव–मेलढगरी मोटर मार्ग; –अशोक नगर–भाटीगांव मोटर मार्ग; –बड़ाबे–घारी–बेलताडी मोटर मार्ग; –विषाण–मासौ मोटर मार्ग; –चण्डाक–गौण्ड–पपदेव–सुकोली मोटर मार्ग; –सुकोली–टकारा–टकारी–ऐंचोली मोटर मार्ग; –नैनी सैनी–कनारी–पार्मै–देवत मोटर मार्ग; –उर्ग–घुन्सेरा गांव–मढ़ मोटर मार्ग; –मढ़ तडीगांव पुनेडी मोटर मार्ग।
		14. जनपद पिथौरागढ़ में निम्न मोटर मार्गों के डामरीकरण के सम्बन्ध में – –चन्डाक–बांस मोटर मार्ग; –बांस–आंवला घाट मोटर मार्ग; –मोस्टमानू–छेड़ा–दिगतोली मोटर मार्ग; –पड्डा–अडकिनी–क्वीतड़ मोटर मार्ग; –कुसेटी–सिलोनी मोटर मार्ग।

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		15. जनपद पिथौरागढ़ में रा0उ0मा0वि0 रोडीपाली के उच्चीकरण के सम्बन्ध में।
		16. जनपद पिथौरागढ़ में नैनी–सैनी, बगाली, खतीगांव, निसनी में नये हाई स्कूल खोले जाने के सम्बन्ध में।
		17. पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में थिर्थी–फाल (मुनस्यारी) या अन्य किसी गुरूत्वीय पेयजल स्रोत से पेयजल योजना निर्माण के सम्बन्ध में।
		18. जनपद पिथौरागढ़ मुख्यालय डीडीहाट (पिथौरागढ़) एवं छावनी परिषद् में रानीखेत (अल्मोड़ा) में सीवर लाइन निर्माण के सम्बन्ध में।
		19. पिथौरागढ़ में पर्यटन आकर्षण केन्द्र के रूप में रई व थरकोट में कृत्रिम झील के निर्माण के सम्बन्ध में।
5.	श्री हरभजन सिंह चीमा (उपस्थित किया जा चुका है)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न का उल्लेख नहीं किया" :–
		1. उत्तरांचल में निकट भविष्य में होने वाले ग्राम सभाओं व निकायों के चुनाव से पूर्व ग्राम सभाओं व निकायों का पुनर्गठन कराये जाने।
		2. पिछले 30–35 वर्षों से अधिक समय से किसानों की जोत में चली आ रही वर्ग–4 की भूमि का नियमितीकरण किये जाने।
		3. विधान सभा क्षेत्र जसपुर व काशीपुर में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाये गए जलाशयों (डामों) से उठाये गए किसानों को बदले में दी गई अराजी के संबंधित किसानों के नाम बनाये गए पट्टों को तहसील रिकार्ड में अंकित कराये जाने के।
		4. पिछले 40 वर्षों से मैदानी क्षेत्रों के गांवों में चल रहे प्राइमरी स्कूलों का उच्चीकरण कर कम से कम जू0 हा0 स्कूल का दर्जा दिये जाने।
		5. विधान सभा क्षेत्र जसपुर काशीपुर की सरकारी क्षेत्र की लम्बे समय से बन्द पड़ी सूत मिलों को चलाये जाने के सम्बन्ध में।

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
6.	श्री अजय भट्ट (उपस्थित किया जा चुका है)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न का उल्लेख नहीं किया" :– 1. पिथौरागढ़ में पुराना थल–तड़ीगांव मोटर मार्ग में रामगंगा नदी में मोटर पुल के सम्बन्ध में। 2. पिथौरागढ़, डीडीहाट में मिनी स्टेडियम के निर्माण। 3. पिथौरागढ़ में सगौड़ से बौगाड़ तक सड़क निर्माण। 4. पिथौरागढ़ में पर्यटन आकर्षण केन्द्र के रूप में मेरई व थरकोट में कृत्रिम झील के निर्माण। 5. पिथौरागढ़ में पूर्व प्रस्तावित बहुउद्देशीय पार्क (अप्पूघर) के निर्माण किये जाने। 6. पिथौरागढ़ मुख्यालय में खेल विद्यालय की स्थापना किये जाने। 7. गंगोलीहाट (पिथौरागढ़) में धार्मिक महत्व के पौराणिक मंदिरों व विभिन्न प्राकृतिक गुफाओं को देखते हुए सम्पूर्ण क्षेत्र को धार्मिक क्षेत्र घोषित किये जाने। 8. पिथौरागढ़ में जनसंख्या दबाव को देखते हुए प्रस्तावित रिंग रोड की स्थापना। 9. रानीखेत क्षेत्र में रानीखेत से चौबटिया में रज्जूमार्ग, मालूडैम एवं धोबीगधेरे में कृत्रिम झील के निर्माण। 10. रानीखेत में पूर्व से लम्बित स्टेडियम निर्माण। 11. गगास चिनियानौला, कोशीशेर, कोसी, बिल्लेख पंपिंग पेयजल योजना के निर्माण। 12. नागरिक चिकित्सालय को कम्बाइण्ड चिकित्सालय का दर्जा दिये जाने तथा हृदय रोग, नाक, कान एवं नेत्र विभाग खोले जाने। 13. छावनी परिषद्, रानीखेत को नगरपालिका एवं रानीखेत को जिला तथा मजखाली, जालली, मछोड़ एवं मासी को विकासखण्ड घोषित करने। 14. उ0प्र0 रा0 सड़क परिवहन निगम कार्यशाला को बाजार से हटाकर पूर्व स्वीकृत स्थान ताड़ीखेत में निर्माण करवाये जाने।

क्र०सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		15. जनसंख्या के दबाव को देखते हुए रानीखेत में बालिका इण्टर कॉलेज खोलने।
		16. सब्जी उत्पादक क्षेत्रों को देखते हुए चौबटिया, बमस्यूँ, भूजान, खैरना, पोखरी, काकड़ीघाट, बलियाली, लोधियाखान बिल्लेख एवं सौंला सिल्लौर महादेव तथा ताडीखेत पीपली, काकडीघाट, मज्यूरखान, शीतला, बेड़गांव, नैनीजाना जैसी, रानीखेत एरोड जैसी सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में।
7.	श्री मदन कौशिक (उपस्थित किया जा चुका है)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :— "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है" :— 1. उत्तरांचल को शेष परिसम्पत्तियों में हिस्सेदारी तथा अधिकारों को दिलाने के लिए किसी नीति की घोषणा तथा समय–समय पर सीमा निश्चित करने। 2. उत्तरांचल में बेरोजगारी के समाधान के लिए स्पष्ट रोजगार नीति बनाये जाने। 3. पर्यटन उद्योग के विकास के लिए स्पष्ट नीति तैयार कर स्वरोजगार उपलब्ध कराने। 4. हरिद्वार के पास राजाजी नेशनल पार्क में रेल द्वारा व बिजली के करन्ट से लगातार मर रहे हाथियों की सुरक्षा। 5. भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में स्पष्ट नीति। 6. पूर्व माध्यमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची में लिये जाने। 7. प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारने हेतु किसी योजना का उल्लेख नहीं किये जाने। 8. हरिद्वार नगर में शराबबन्दी प्रभावी रूप से लागू हो, इसके सम्बन्ध में कार्य योजना बनाने। 9. हरिद्वार विधान सभा क्षेत्र में कन्या डिग्री कॉलेज खोलने।

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		10. प्रदेश में हिन्दी विषय की डिग्री स्तर तक के लिए शिक्षा मुफ्त दिये जाने।
		11. हरिद्वार में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना।
		12. हरिद्वार में 2004 में लगने वाले कुम्भ के बारे में स्थाई निर्माण की योजना।
		13. हरिद्वार में गंगा को पूर्णतः प्रदूषण मुक्त करने।
		14. हरिद्वार में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना।
		15. हरिद्वार में श्रमायुक्त कार्यालय की स्थापना।
		16. हरिद्वार में हवाई पट्टी का विस्तार कर विमान सेवा प्रारम्भ किये जाने।
		17. हरिद्वार में विशेष पौराणिक महत्व वाले क्षेत्र–सतीकुन्ज, सतीघाट, मायादेवी मंदिर, दक्ष प्रजापति मंदिर, बिल्केश्वर मंदिर आदि को विकसित किये जाने।
		18. हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर, चण्डी देवी मंदिर पैदल मार्ग पर टीन–शेड की व्यवस्था करने।
		19. कनखल शमशान घाट पर विद्युत शव गृह के निर्माण।
		20. हरिद्वार के जिला चिकित्सालय की खस्ता हालत सुधारने।
		21. बरसात के मौसम में हरिद्वार के समस्त बाजार एवं अधिकांश मौहल्लों में पानी की निकासी।
		22. हरिद्वार में अन्तर्राज्यीय बस स्टेशन की स्थापना।
		23. हरिद्वार नगर में सिटी बस की व्यवस्था करने।
		24. हरिद्वार नगरी में धर्मशालाओं को गृहकर, जलकर से पूर्णतः मुक्त किये जाने।
		25. हरिद्वार में हर की पैड़ी क्षेत्र को भिखारियों से पूर्णतः मुक्त करने।
		26. हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज खोलने।
		27. हरिद्वार को एक औद्योगिक जिला घोषित किये जाने।
		28. राज्य में गौ रक्षा आयोग के गठन।

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
8.	श्री अरविन्द पाण्डे (उपस्थित किया जा चुका है)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया" :– 1. बाजपुर विधान सभा क्षेत्र में वर्ग 4 की भूमि की समस्या का समाधान। 2. बाजपुर क्षेत्र में नदियों द्वारा किये जा रहे कटान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। 3. किसानों को फसल का सही मूल्य भुगतान के सम्बन्ध में। 4. किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान के सम्बन्ध में। 5. बाजपुर क्षेत्र में स्थित चीनी मिल के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने के सम्बन्ध में। 6. समस्त चीनी मिलों में मृतक आश्रितों को सेवा–योजित करने के सम्बन्ध में। 7. समस्त चीनी मिलों के कर्मचारियों को पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में। 8. बाजपुर को पूर्ण तहसील का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में। 9. केलाखेड़ा (ऊधमसिंह नगर) में स्थित इण्टर कॉलेज की भूमि पर किये गये अवैध कब्जे को हटाये जाने के सम्बन्ध में।
9.	श्री महेन्द्र भट्ट (उपस्थित किया जा चुका है)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है" :– 1. जनपद चमोली के विकासखण्ड घाट में तहसील की स्थापना। 2. जनपद चमोली के अनेकों विद्यालयों के उच्चीकरण। 3. जनपद चमोली के पोखरी विकासखण्ड के उडामाडा सेमलासु मोटर मार्ग निर्माण। 4. जनपद चमोली विकासखण्ड घाट के काण्डेय पगना मार्ग निर्माण।

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		5. जनपद चमोली में प्रत्येक बारह वर्षों में होने वाली पौराणिक नन्दा देवी राजात को सरकारी अनुदान।
		6. जनपद चमोली के विकासखण्ड घाट में राज्य परिवहन निगम सेवा प्रारम्भ करने।
		7. जनपद चमोली के विकासखण्ड घाट में राजकीय महाविद्यालय की स्वीकृति।
		8. उत्तरांचल में भविष्य में होने वाली हाई स्कूल एवं माध्यमिक शिक्षा की परीक्षा हेतु अलग परीक्षा बोर्ड के गठन।
		9. जनपद चमोली के धार्मिक एवं दार्शनिक स्थल रूप कुण्ड, वैराज कुण्ड, कार्तिक स्वामी में यात्रा हेतु सुगम मार्ग निर्माण।
10.	श्री मालचन्द (उपस्थित किया जा चुका है)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न को सम्मिलित नहीं किया" :– 1. सीमान्त जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड मोरी के गंगाड़ क्षेत्र/पुरौला के सुनाली डेरीका के बाढ़ में खेतों का कटाव रोकने के लिए सुरक्षा दीवाल, पुल एवं सड़कों, नगदी फसलों का मुआवजा हेतु ठोस नीति बनाने। 2. नगदी फसलों का काश्तकारों को उचित मूल्य दिलाने व नजदीकी मण्डी सुविधा के सम्बन्ध में। 3. हिमाचल की तर्ज पर काश्तकारों को नगदी फसल के लिए शासन द्वारा उचित मूल्य देने हेतु समिति का गठन। 4. पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या तथा शिष्यों के मानक में छूट देने हेतु स्कूलों का चयन। 5. वन्य जीव गोविन्द पशु विहार हेतु क्षेत्र के समस्त विकास कार्यों में रूकावट हटाने के लिये कोई ठोस नीति बनाने। 6. जूनियर हाई स्कूल/हाई स्कूल/कन्या जूनियर हाई स्कूलों के उच्चीकरण हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में निर्धारित मानक की छूट।

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
11.	श्री अनिल नौटियाल (उपस्थित किया जा चुका है)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है" :- 1. वर्तमान में कार्यरत समस्त शिक्षा बन्धुओं को उनके कार्यरत पदों पर ही नियमित किये जाने। 2. जनपद चमोली के गैरसैण में डिग्री कॉलेज में पद सृजन एवं भवन निर्माण। 3. कर्णप्रयाग डिग्री कॉलेज हेतु भवनों की व्यवस्था एवं विज्ञान संकाय खोलने। 4. गौचर में डाइट (राज्य शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थान) भवन निर्माण। 5. कर्णप्रयाग विधान सभा के दूरस्थ क्षेत्रों में सड़कों एवं पुलों के निर्माण। 6. गढ़वाल विश्वविद्यालय में बी0एड0 प्रवेश परीक्षा शुल्क को कम करने। 7. गौचर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना। 8. प्राथमिक विद्यालयों में बी0एड0 प्रशिक्षितों की वर्षवार नियुक्ति। 9. राजकीय इण्टर कॉलेज महलचौरी, रोहिडा, उज्जवलपुर, सिदोली के भवन निर्माण। 10. राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित श्री नन्दा देवी राजजात का आयोजन। 11. कालेश्वर (चमोली) को ट्रान्सपोर्टनगर घोषित करने। 12. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के उच्चीकरण एवं नये स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना। 13. चमोली जनपद में चाँदपुर गढ़ी नाम से नये विकासखण्ड का निर्माण।
12.	श्री गोविन्द लाल (उपस्थित किया जा चुका है)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है" :- 1. नारायणबगड़ में हॉस्पिटल का उच्चीकरण। 2. चमोली में विद्यालयों का उच्चीकरण।

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रुप
		3. पिण्डर विधान सभा क्षेत्र में सड़कों एवं पुलों का नव निर्माण। 4. देवाल में हॉस्पिटल के उच्चीकरण।
13.	श्रीमती आशा नौटियाल (उपस्थित किया जा चुका है)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :— "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है" :— 1. जनपद रुद्रप्रयाग क्षेत्र केदारनाथ में वर्ष 98 एव 2000 में आये विनाशकारी भूकम्प एवं भूस्खलन से पीड़ित लोगों के पुनर्वास एवं गृह अनुदान। 2. जनपद रुद्रप्रयाग क्षेत्र केदारनाथ के तहसील ऊखीमठ विद्यापीठ में महाविद्यालय खोलने। 3. महिलाओं के उत्थान एवं विकास के लिये कोई ठोस नीति बनाने एवं कृषि नीति में परिवर्तन कर व्यवसायिक खेती करने। 4. जनपद रुद्रप्रयाग विकासखण्ड अगस्तमुनि में तल्ला नागपुर पेयजल योजना के सम्बन्ध में। 5. जनपद रुद्रप्रयाग क्षेत्र केदारनाथ में अपार तीर्थाटन केदारनाथ, तुगनाथ, मध्यमहेश्वर एवं कार्तिक स्वामी अगस्तमुनि पर्यटन क्षेत्र, देवरियाताल, चोपता, दुगलमिट्टा, खाम मनेरी क्षेत्रों के विकास के सम्बन्ध में। 6. नवगठित जनपद रुद्रप्रयाग का एकीकरण करने। 7. जनपद रुद्रप्रयाग क्षेत्र केदारनाथ में बालिकाओं के लिये व्यवसायिक शिक्षण संस्थान एवं बालिका हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट कॉलेज खोलने।
14.	श्रीमती विजय बड़थ्वाल (उपस्थित किया जा चुका है)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :— "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है" :— 1. महिलाओं के आर्थिक विकास के लिये ठोस योजनायें बनाने के लिये महिला उत्थान एवं कल्याण निगम के गठन। 2. यमकेश्वर विधान सभा क्षेत्र की मुख्य दो सड़कों के लक्ष्मणझूला से बिथाणी एवं चैलेसैण से घट्टूगाड़ तक डामरीकरण।

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		3. उत्तरांचल की आबकारी नीति में महिलाओं की सहमति एवं विचार लेने। 4. जनपद पौड़ी में रा0इ0का0 एवं माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता एवं प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों को भरने। 5. जनपद पौड़ी में कृषि योग्य भूमि के लिये सिंचाई के साधनों के विस्तारीकरण। 6. यमकेश्वर विधान सभा क्षेत्र के महाबगढ़, भैरवगढ़ी, नीलकंठ यमकेश्वर को तीर्थाटन, पर्यटन के लिये विकसित करने। 7. यमकेश्वर विधान सभा क्षेत्र में बालिका व्यवसायिक शिक्षा विद्यालय एवं बालिका हाई स्कूल एवं इण्टर कॉलेज खोलने। 8. नये राज्य उत्तरांचल में नई शिक्षा नीति निर्धारित करने। 9. यमकेश्वर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कण्व आश्रम पोखरी पौखाल मोटर मार्ग निर्माण। 10. यमकेश्वर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास क्षेत्र द्वारीखाल के सिलोगी, कदूडबड़ा पम्पिंग योजना से पेयजल उपलब्ध कराने।
15.	श्री चन्द्रशेखर (उपस्थित किया जा चुका है)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया" :– 1. बिहारीगढ़ से सड़कों एवं पुलिया को रोशनाबाद तक पहुँचाने। 2. डान्डा रांघड़वाला में प्राईमरी स्कूल को बनवाने। 3. डान्डा जलालपुर में बिजली घर बनाने। 4. भूमि संरक्षण द्वारा भूमि को एकसार कराने। 5. ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पर कक्षा 8वीं तक के स्कूल भी नहीं है, वहाँ पर स्कूल बनवाने। 6. हरिपुर ग्राम व उसके आस–पास के गाँवों में बिजली की व्यवस्था करने। 7. पंजाब एवं हरियाणा की तरह ही भट्टा उद्योग पर उत्तरांचल में भी सेल्सटेक्स कम किये जाने।

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		8. स्कूलों की समस्यायें— (1) 8वीं कक्षा तक के स्कूलों को कक्षा 10वीं तक किये जाने; (2) 10वीं कक्षा तक के स्कूलों को कक्षा 12वीं तक किये जाने; (3) भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में असिंचित भूमि पर निःशुल्क बोरिंग एवं पेयजल हेतु नलकूपों की व्यवस्था किये जाने। 9. भगवानपुर क्षेत्र में बाढ़ एवं सूखे के निराकरण हेतु पुलों, सड़कों एवं जलापूर्ति जैसी जटिल समस्याओं के समाधान।
16.	श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत (उपस्थित किया जा चुका है)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :— "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है" :— 1. उत्तरांचल राज्य निर्माण के दौरान घायलों के सम्बन्ध में। 2. डोईवाला में महाविद्यालय भवन निर्माण एवं शिक्षकों की व्यवस्था के सम्बन्ध में। 3. मोथरोवाला—दूधली—डोईवाला, मोटर मार्ग के निर्माण में आ रही बाधाओं के सम्बन्ध में। 4. डोईवाला विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रायपुर नथुवावाला—नकरौंदा मोटर मार्ग के सुदृढ़ीकरण एवं पक्कीकरण के सम्बन्ध में। 5. नकरौंदा—लच्छीवाला—डोईवाला मोटर मार्ग के सम्बन्ध में। 6. डोईवाला विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत राजाजी नेशनल पार्क से लगे कृषकों की कृषि की जंगली जानवरों से सुरक्षा के सम्बन्ध में। 7. शिक्षक अभिभावक संगठन (पी0टी0ए0) के अन्तर्गत नियुक्ति के सम्बन्ध में। 8. मार्खम—ग्रान्ट न्याय पंचायत में पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में।

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
17.	श्री सुरेश चन्द (उपस्थित किया जा चुका है)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है" :– 1. हरिद्वार से रुड़की होते हुए मु0 नगर तक सीधी रेलवे लाईन की व्यवस्था के सम्बन्ध में। 2. रुड़की विधान सभा क्षेत्र जो उत्तरांचल का प्रवेश–द्वार है, के चहुँमुखी विकास के सम्बन्ध में। 3. कुंभ नगरी हरिद्वार को चारों ओर से विभिन्न प्रदेशों एवं नगरों से जोड़ने वाले मार्गों को अविलम्ब चार लेन करने के सम्बन्ध में।
18.	काजी निजामुद्दीन	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है" :– 1. दिन प्रतिदिन बढ़ती आबादी की रोकथाम। 2. उर्दू एकेडमी की स्थापना। 3. जिन जिलों में उर्दू बोलने वालों की अच्छी संख्या है, वहां उर्दू भाषा को दूसरी भाषा का दर्जा देना। 4. दिन प्रतिदिन बढ़ते भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकना। 5. टोंगिया किसानों की वन भूमि पर आबादकारी। 6. पॉलिथीन पर पूरी तरह पाबन्दी लगाना।
19.	श्री बलबीर सिंह नेगी	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है" : 1. विश्वप्रसिद्ध सतलिंग ग्लेशियर, सहस्त्रताल क्यार्की बगियाण–पंवाली कांठा–कुश कल्याण–महासत्रताल, माणिकनाथ, विश्वनाथ, जम दी शिला, इटकुणी व भजियाड़ ताल के पर्यटन विकास। 2. डुलाना खाल, चमियाला में और भौखाल में अलग विकासखण्ड खोलना।

क्र०सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		3. गौखाल में डिग्री कॉलेज खोलना।
		4. घमातोड़ी–अखोड़ी अपर केमर, मिलंग में फल पट्टी योजना लागू करना।
		5. अपर केमर, बूढ़ाकेदार, घमातोली, पाख ग्राम में ऐलोपैथिक अस्पताल बनाना।
		6. उत्तरांचल में उत्तरांचल राज्य निर्माण निगम का गठन करना।
		7. लिफ्ट सिंचाई योजना (देवढ) पश्चिमी मिलंग, पिग्रोला, बणचूरी में स्थापित करना।
		8. घनसाली, कोटी–अखोड़ी–घमातोली–पंवली मो० मार्ग, धुनसाली घुतु मोटर मार्ग, घनसाली–बिनकखाल, मूलगढ़–थार्ती ठैला जग्डसेखाल मो० मार्ग लौंटा–नागेश्वर–सौड़ मो० मार्गों का डामरीकरण करना।
		9. पदोखा–बालगंगा नदी पर दोणी मिलंगना नदी पर कोटी अंगुड़ा, बन्दियाल बाल गंगा पर बौर–सेन्दुल मिलंगना पर झूला पुलों का निर्माण करवाया जाय।
		10. कोटी–धर्मगंगा पर बनोली गोनेढ़ कोट बालगंगा पर लघु जल विद्युत परियोजना, श्री कोट चनियाला लघु जल विद्युत योजना।
		11. नागराजाधार इण्टर कॉलेज किरंथ, बूढ़ाकेदार इण्टर कॉलेज, पौखाल इण्टर कॉलेज, पढागली हा० स्कूल भवन, जाख जू०हा० भवन निर्माण, नौल बासर इण्टर कॉलेज भवन, कोट विशन हा० स्कूल, अगूण्डा हाई स्कूल भवन निर्माण करवाना।
		12. बणचूरी जू०हा० स्कूल उच्चीकरण, पढ़ागली हाई स्कूल का उच्चीकरण, कोट विशन हा० स्कूल का उच्चीकरण, लगांव जू०हा० स्कूल का उच्चीकरण, कठैती जू०हा० का उच्चीकरण।
		13. गेंवाली, गैंगी, पिनस्वाड़ में आयुर्वेदिक अस्पताल खोलना।
		14. भिगुन से पंगेठी मोटर मार्ग देनट से सौड़ मोटर मार्ग निर्माण की स्वीकृति प्रदान करें।

क्र०सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		15. छटनीशुदा वन निगम कर्मचारियों, जनगणना कर्मचारियों, लोक निर्माण विभाग धनसाली के कोटी अखोड़ी मार्ग के छटनीशुदा श्रमिकों को समायोजित करना।
		16. अशासकीय मान्यताप्राप्त विद्यालय सिंगलास, बागसेस अम्बेश्वरी वि० धमातोली, सौड़ हिन्दाव आलीधार पू०मा०वि०, कनकपाल जू०हा०, शहीद दलवीर सिंह राणा स्मृति जू०हा० ठेला को वित्तीय मान्यता प्रदान कराना।
20.	श्री नारायण पाल	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु मुझे खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न का उल्लेख नहीं किया" :–

1. बंगाली समाज, थारू, बुक्शा आदि झुग्गी में रहने वाले व्यक्तियों के लिए आवास की सुविधा हेतु।
2. पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, पारसी, बैदिष्ट) के हित में सुनिश्चित योजना।
3. उत्तरांचल में महिला उद्धार हेतु स्वावलम्बन एवं आत्मनिर्भर बनाने की योजना।
4. उत्तरांचल में बेरोजगार युवाओं को समाहित करने, पलायन रोकने हेतु पब्लिक सेक्टर की स्थापना।
5. अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को सरकारी व प्राइवेट संस्थानों में नियुक्ति देकर बैक लॉक भरने हेतु।
6. अल्पसंख्यक आयोग के अधीन जिला स्तरीय पदों पर अल्पसंख्यकों की नियुक्ति करना।
7. वन संपदा एवं वन अधिनियम में संशोधन करके उत्तरांचल की जनता के हित में सरलीकरण।
8. किसानों की समस्या का निराकरण करने की योजना।
9. व्यापारियों और उद्योगपतियों का पलायन रोकने व उनकी सुरक्षा।

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		10. मंहगाई पर अंकुश।
		11. कर्मचारी वर्ग की मूलभूत सुविधायें।
		12. एल0टी0सी0 जीवन पर्यन्त सर्विस में तीन टूर एवं प्रत्येक वर्ष में एक माह की तनख्वाह का नकदीकरण।]

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 30 विधान सभा/260-01-10-2003-200 प्रतियां (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।